खुनखुन जी गर्ल्स पीजी कालेज, चौक लखनऊ
मुमताज पीजी कॉलेज, लखनऊ एवं
एसोसिएशन ऑफ अकेडमिक पीपल ऑफ सोसायटी

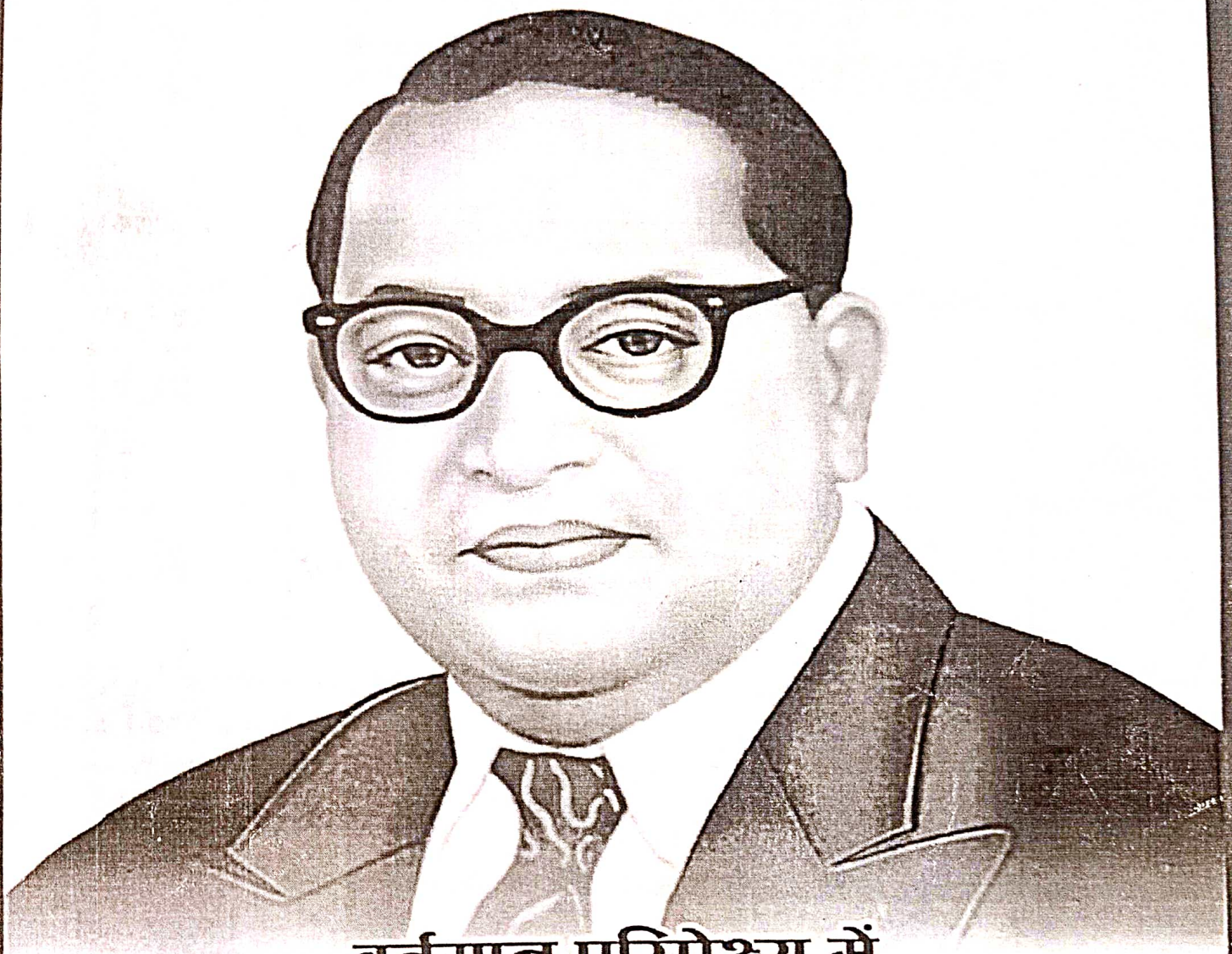

वर्तमान परिप्रेक्ष्य में
डॉ0 भीमराव अम्बेडकर
की वैचारिकी

Ideal International E-Publication Pvt. Ltd.

वर्तमान परिप्रेक्ष्य में
डॉ0 भीमराव अम्बेडकर
की वैचारिकी

सम्पादक
प्रो डी के अवस्थी
श्री जे एन पीजी कालेज,
लखनऊ

प्रो. अंशु केडिया
खुन खुन जी गर्ल्स पीजी कालेज,
लखनऊ

सम्पादक मंडल
डॉ प्रियंका
खुनखुन जी गर्ल्स पीजी कालेज,
लखनऊ

सम्पादक मंडल
प्रो नसीम अहमद खान
मुमताज पीजी कॉलेज
लखनऊ

सम्पादक मंडल
सुश्री ज़ेबा अंजुम, शोध छात्रा
खुनखुन जी गर्ल्स पीजी कालेज
लखनऊ

2023
Ideal International E PublicationPvt. Ltd.
Www.isca.co.in

Ideal International E-Publication Pvt. Ltd.

427, Palhar Nagar, RAPTC, VIP-Road, Indore-452005 (MP) INDIA
Phone: +91-731-2616100, Mobile: +91-80570-83382
E-mail: contact@Isca.co.In, Website:www.Isca.co.In

Title:	वर्त्तमान परिप्रेक्ष्य में डॉ. भीमराव अम्बेडकर की वैचारिकी
Author(s):	डा॰ डीके अवस्थी , डा॰ अंशु केडिया , डा॰प्रियंका
Edition:	First
Volume:	I

© Copyright Reserved
2023

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored, in a retrieval system or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, reordering or otherwise, without the prior permission of the publisher.

ISBN: 978-93-89817-94-2

Sr.No.	Title	Page No.
1	Dr. Ambedkar, education and society Ekta Bhatia	01-05
2	The Idea of Economic Justice as Embedded in English Literature Surbhi Sharma	06-12
3	Ambedkar and Women Neha Singh	13-17
4	Dr B.R. Ambedkar's Contributions towards Working Women's Rights in India: An Analytical Study Nishu Soni	18-21
5	Examining Dr B.R. Ambedkar's Ideology on Social Justice in India from a Contemporary Perspective. Shashi Kapoor	22-24
6	डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के शैक्षिक विचार एवं वर्तमान में प्रासंगिकता, शशि कुमारी रावत,	25-26
7	भीमराव अम्बेडकर (1891—1956) शिक्षा दर्शन, मानवता, स्वतंत्रता एवं समानता डॉ. मोहम्मद सलमान खां	27-29
8	डॉ. अम्बेडकर महिलाएं और हिन्दू कोड बिलः एक विवेचनात्मक अध्ययन, डॉ. छाया	30-33
9	आम्बेडकर और महिलाएं, ज्योत्सना	34-35
10	डॉ भीमराव अम्बेडकर और सामाजिक न्याय, कु0 प्रगति पान्डेय,	36-41
11	अम्बेडकर और महिलाएंः कु अंकिता	42-45
12	अम्बेडकर का नारीवादः भारत में महिलाओं के लिए जाति, लिंग और सामाजिक न्याय की पुनर्कल्पना (Ambedkar's Feminism: Reimagining Caste, Gender and Social Justice for Women in India) डॉ. भाग्यश्री राजपूत	46-51
13	सामाजिक न्याय और डॉ- अम्बेडकरः डॉ- प्रियंका	52-53
14	डॉ. भीमराव अंबेडकर एवं महिला सशक्तिकरण,_डॉ. कवलजीत कौरः डॉ. कल्पना जोशी	54-57
15	डॉ.भीमराव अंबेडकर और महिलाएंः रागिनी श्रीवास्तव	58-60

डॉ. भीमराव अंबेडकर एवं महिला सशक्तिकरण

डॉ. कवलजीत कौर

समाजशास्त्र विभाग

राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय

चम्पावत, उत्तराखण्ड

kawal289@gmail.com

9758961089

डॉ. कल्पना जोशी

समाजशास्त्र विभाग

स्व. चंद्र सिंह शाही राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय

कपकोट, बागेश्वर, उत्तराखण्ड

kjoshialm@gmail.com

7895077987

सारांश– डॉ. भीमराव अम्बेडकर एक महान नारीवादी चिंतक थे। उन्होनें अपने जीवनकाल में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए अनेक प्रयास किए। उन्होनें अपनी रचनाओं में भारतीय महिलाओं की स्थिति के बारे में विस्तृत वर्णन किया। डॉ. भीमराव अंबेडकर ने कहा है कि, "भगवान जन्म से जाति या स्थान के द्वारा आदमी या औरत को नहीं पहचानता है तो रूढ़िवादी और अंधविश्वासी धर्मों को ऐसा नही करना चाहिए जैसे वो बन गये है।" उन्होंने आगे कहा कि महिलाओं को दूसरे के कल्याण और अपने स्वयं के कल्याण के लिए पढ़ना चाहिए क्योंकि, "शिक्षा शिक्षित महिलाओं के बिना निरर्थक है और आंदोलन महिलाओं की ताकत के बिना अधूरा है।" डॉ. भीमराव अंबेडकर का मानना था कि राष्ट्र का विकास और कल्याण तभी आवश्यक रूप से हो सकता है जब लैगिक समानता रहे। अतः महिलाएँ सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक क्षेत्र में अपने आपको स्वतंत्र महसूस करे और इसके साथ ही अपने आपको समान दृष्टि से महसूस करे। उनका मानना था कि ऐसा तब तक संभव नही है तब तक उन्हें कानून द्वारा स्वतंत्रता प्रदान नहीं की जाती।

प्रस्तावना– प्राचीन भारत से लेकर वर्तमान तक भारतीय समाज पितृसत्तात्मक अवधारणा पर आधारित है जिसमें महिलाओं को विभिन्न विषमताओं का शिकार होना पड़ रहा है। भारत में ऐसे अनेक महापुरूषों का जन्म हुआ है जिन्होंने ऐसे सामाजिक कुरीतियों को दूर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी है। इनमें डॉ. भीमराव अम्बेडकर प्रमुख है। डॉ. भीमराव अम्बेडकर एक महान नारीवादी चिंतक थे। उन्होनें अपने जीवनकाल में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए अनेक प्रयास किए। उन्होनें अपनी रचनाओं में भारतीय महिलाओं की स्थिति के बारे में विस्तृत वर्णन किया। उन्होंने बताया कि मनु से पूर्व भारत में महिलाओं की स्थिति सम्मानजनक थी। उन्होने कहा कि मनु से पूर्व महिलाओं को शिक्षा ग्रहण करने व धार्मिक क्रियाओं को सम्पन्न करने का अधिकार था। उनका विचार था कि देश में मनु ने महिलाओं की स्थिति को काफी दयनीय व चिंताजनक बना दिया। मनु की 'मनुस्मृति' से महिलाओं के सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक विकास पर पूरी तरह से प्रतिबंध लग गया। आधुनिक युग में डॉ. अम्बेडकर ने महिलाओं को जागृत करने के लिए अनेक सम्मेलन किए। डॉ. अम्बेडकर ने 'मूकनायक' व 'बहिस्कृत भारत' इत्यादि समाचार–पत्रों के माध्यम से महिलाओं को उनके अधिकारों की प्राप्ति के लिए प्रेरित किया। डॉ. भीमराव अंबेडकर ने कहा है कि, "भगवान जन्म से जाति या स्थान के द्वारा आदमी या औरत को नहीं पहचानता है तो रूढ़िवादी और अंधविश्वासी धर्मों को ऐसा नही करना चाहिए जैसे वो बन गये है।" उन्होंने आगे कहा कि महिलाओं को दूसरे के कल्याण और अपने स्वयं के कल्याण के लिए पढ़ना चाहिए क्योंकि, "शिक्षा शिक्षित महिलाओं के बिना निरर्थक है और आंदोलन महिलाओं की ताकत के बिना अधूरा है।"

डा. भीमराव अंबेडकर का महिला सशक्तिकरण में योगदान–

- **भारतीय संविधान में महिलाओं की स्थिति–** डॉ. अम्बेडकर ने संविधान मसौदा समिति के अध्यक्ष के रूप में महिलाओं को संविधान में समान रूप से अनेक अधिकार प्रदान किये है जिसमें राजनैतिक, सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक समानता का अधिकार पुरुषों के समान ही शामिल है।
- ✓ **अनुच्छेद–14** में देश के सभी नागरिकों को कानूनी रूप से समानता, बिना किसी भेदभाव के लिए दिया गया है।
- ✓ **अनुच्छेद–15** किसी भी नागरिक से उसके धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी भी कारण से हुए भेदभाव की मनाही करता है।
- ✓ **अनुच्छेद–15 (3)** राज्य को महिलाओं व बच्चों की सुरक्षा के लिए विशेष नियम बनाने का अधिकार प्रदान करता है।
- ✓ **अनुच्छेद–16** सभी नागरिकों से रोजगार के अवसरों में जाति, लिंग, रंग, रूप, जन्म स्थान से रोजगार व किसी कार्यालय में नियुक्ति के लिए समानता का अवसर प्रदान करता है।
- ✓ **अनुच्छेद–16 (ख)** में जाति, लिंग, रंग, रूप, जन्म स्थान या इनमें से किसी भी कारण से रोजगार या सरकारी कार्यालयों में नियुक्ति में भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए।
- ✓ **अनुच्छेद–39** कहता है कि राज्य सभी नागरिकों (महिलाओं और पुरूषों) के जीवन–यापन के पर्याप्त साधनों के लिए समानता प्रदान करता है।
- ✓ **अनुच्छेद–39 (घ)** के अनुसार महिलाओं और पुरूषों दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार प्राप्त है।
- ✓ **अनुच्छेद–41** के अनुसार राज्य को अपनी आर्थिक सीमाओं के अंदर सभी नागरिकों को काम करने का अधिकार व निश्चित मामलों में सरकारी सलाह के लिए जिमेदारी है।
- ✓ **अनुच्छेद–42** के अनुसार राज्य कार्य के लिए न्यायपूर्ण स्थिति उत्पन्न करेगा। राज्य अधिक–से–अधिक महिलाओं के लिए प्रसव सहायता का प्रबन्ध करेगा।

- **डॉ. अम्बेडकर का पत्रकार के रूप में योगदान–** डॉ. अम्बेडकर को कोल्हापुर नरेश शाहू छत्रपति महाराज ने आर्थिक सहायता देकर 'मूकनायक' (1920) पाक्षिक पत्र प्रकाशन करवाया। इस अखबार से वे अपने मत प्रतिपादित भी करते थे और इस अखबार के माध्यम से वे समाज में फैली सामाजिक बुराइयों को तोड़ने, राजनीतिक और आर्थिक संपन्नता हासिल करने के अधिकारों की पुनजोर वकालत करते थे, जो समाज के हर वर्ग के लिए अनिवार्य थी। उन्होंने महिला वर्ग को उसमें बढ–चढ कर भाग लेने का आह्वान किया। 'बहिस्कृत भारत' (1924) पत्र में उन्होंने सांस्कृतिक संचार फैलाने और शैक्षणिक गतिविधियों का संदेश प्रत्येक उस तक पहुंचाने की कोशिश की जिनको अधिक आवश्यकता थी। इस पत्र के आरंभ में उन्होंने लिखा, "जब तक हम अपने आपको हिंदू समझते हैं तब तक मंदिर–प्रवेश हमारा अधिकार है। यदि संभव नहीं हुआ तो हम हिंदू धर्म को छोड़ देने में भी नहीं हिचकिचाएंगें। जातिभेद और छुआछुत के कारण हिंदू समाज की शक्ति नष्ट हो रही है। इस पत्र का इतना अधिक प्रभाव पड़ा कि महिलाएं सम्मेलनों के मंच पर स्वागत गीत गाने लगीं। वेणुबाई भटकर व रेगू बाई इन में अग्रणी महिलाएं थी। डॉ. भीमराव अम्बेडकर के आदेशानुसार देवराज नाईक व भास्करराव कद्रेकर ने 'जनता' (1930) नामक पाक्षिक पत्र की शुरूआत की। 'मूकनायक', 'बहिस्कृत भारत', और 'समता' के पश्चात् यह उनका चौथा पत्र था। पूना समझौते के बाद 'जनता' पत्र में डॉ. भीमराव अम्बेडकर विशेषांक भी निकला।

- **नारी शिक्षा (महिलाओं को पढ़ने का अधिकार)–** बाबा साहब पुरुषों की शिक्षा के साथ–साथ वो महिलाओं की शिक्षा को भी बहुत जरूरी मानते थे। 1913 में न्यूयार्क में एक भाषण देते उन्होंने कहा था 'मां–बाप बच्चों को जन्म देते हैं, कर्म नहीं देते। मां बच्चों के जीवन को उचित मोड़ दे सकती हैं। यदि हम लोग अपने लड़कों के साथ अपनी लड़कियों को भी शिक्षित करे तो हमारे समाज की उन्नति और तेज होगी।' 18 जुलाई 1927 को करीब तीन हजार महिलाओं की एक संगोष्ठि में बाबा साहब ने कहा ने कहा था 'आप अपने बच्चों को स्कूल भेजिए। शिक्षा महिलाओं के लिए भी उतनी ही जरूरी है जितना की पुरूषों के लिए। यदि आपको लिखना–पढना आता है, तो समाज में आपका उद्धार संभव है। एक पिता का सबसे पहला काम अपने घर में स्त्रियों को शिक्षा से वंचित न रखने के संबंध में होना चाहिए। शादी के बाद महिलाएं खुद को गुलाम की तरह महसूस करती हैं, इसका सबसे बड़ा कारण निरक्षरता है। यदि स्त्रियां भी शिक्षित हो जाएं तो उन्हें ये कभी महसूस नहीं होगा।'

- **मैटरनिटी लीव (गर्भवती कामकाजी महिलाओं को छुट्टी)–** आज कामकाजी महिलाएं 26 हफ्तों की मैटरनिटी लीव ले सकती हैं, जिसकी शुरुआत बाबा साहब डॉ अंबेडकर ने ही की थी। 10 नवंबर 1938 को बाबा साहब अंबेडकर ने बॉम्बे लेजिसलेटिव असेंबली में महिलाओं की समस्या से जुड़े मुद्दों को जोरदार तरीकों से उठाया। इस दौरान उन्होंने प्रसव के दौरान महिलाओं के स्वास्थ्य से जुड़ी चिंताओं पर अपने विचार रखे। 1942 में सबसे पहले मैटरनिटी बेनेफिट बिल डॉ. अंबेडकर द्वारा लाया गया था। इसके बाद 1948 के Employees State Insurance Act के जरिए भी महिलाओं को मातृत्व अवकाश की व्यवस्था की गई।

- **लैंगिक रागानता (महिला–पुरुष में कोई भेदभाव नही)–** बाबा साहब ने भारतीय नारी को पुरुषों के मुकाबले बराबरी के अधिकार दिए हैं। भारतीय समाज में लैंगिक असगानता को खत्म करने के लिए उन्होंने बाकायदा संविधान में लिंग के आधार पर भेदभाव करने की मनाही का इंतजाम किया। आर्टिकल 14 से 16 में महिलाओं को समाज में समान अधिकार देने का भी प्रावधान किया गया है। बाबा साहब ने संविधान में लिखा कि 'किसी भी महिला को सिर्फ महिला होने की वजह से किसी अवसर से वंचित नहीं रखा जाएगा और ना ही उसके साथ लिंग के आधार पर कोई भेदभाव किया जा सकता है।' भारतीय संविधान के निर्माण के वक्त भी बाबा साहब ने महिलाओं के कल्याण से जुड़े कई प्रस्ताव रखे थे। इसके अलावा महिलाओं की खरीद–फरोख्त और शोषण के विरुद्ध भी बाबा साहब ने कानूनी प्रावधान किए। साथ ही बाबा साहब ने संविधान में महिलाओं और बच्चों के लिए राज्यों को विशेष कदम उठाने की इजाजत भी दी।

- **मताधिकार (वोट करने का अधिकार)–** वोटिंग राइट्स को लेकर 20वीं शताब्दी के आधे हिस्से तक दुनिया भर में कई आंदोलन हुए। नारीवाद की पहली और दूसरी लहर में महिलाओं के लिए वोटिंग राइट्स की जबरदस्त मांग उठी लेकिन उस समय भारत में इसके लिए बहुत ज्यादा आंदोलन नहीं हुए थे। जब बाबा साहब को संविधान लिखने का मौका मिला तो उन्होंने महिलाओं को भी समान मताधिकार दिया। आज 18 साल की उम्र होने पर महिलाएं वोट डालने का हक रखती हैं क्योंकि बाबा साहब ने महिलाओं को समान मताधिकार दिलाया था।

- **विवाह–** बाल विवाह का विरोध करते हुए उचित उम्र में महिलाओं के विवाह की अंबेडकर ने पुरजोर वकालत की। विवाह जैसे मुद्दे पर भावी जीवन साथी के चयन में लैंगिक असमानता को दूर करते उन्होंने कहा 'पत्नी कैसी होनी चाहिए इस बारे में पुरुषों का विचार जाना जाता है वैसे ही पति कैसा हो इस बारे में पत्नी का मत जान लेना भी जरुरी है। स्त्री भी व्यक्ति है और उसे भी व्यैक्तिक स्वत्रता होनी चाहिए'।

- **तलाक, संपत्ति और बच्चे गोद लेने का अधिकार–** बाबा साहब ने संविधान के जरिए महिलाओं को वे अधिकार दिए जो मनुस्मृति ने नकारे थे। उन्होंने राजनीति और संविधान के जरिए भारतीय समाज में स्त्री–पुरुष के बीच असमानता की गहरी खाई पाटने का सार्थक प्रयास किया। जाति, लिंग और धर्मनिरपेक्ष संविधान में उन्होंने सामाजिक न्याय की कल्पना की है। 'हिंदू कोड बिल' के जरिए उन्होंने संवैधानिक स्तर से महिला हितों की रक्षा का प्रयास किया। इस बिल के 4 प्रमुख अंग थे–

  - हिंदुओं में बहुविवाह की प्रथा को समाप्त करके केवल एक विवाह का प्रावधान, जो विधिसम्मत हो।
  - महिलाओं को संपत्ति में अधिकार देना और बच्चे गोद लेने का अधिकार देना।
  - पुरुषों के समान नारियों को भी तलाक का अधिकार देना, हिंदू समाज में पहले पुरुष ही तलाक दे सकते थे।
  - आधुनिक और प्रगतिशील विचारधारा के अनुरूप समाज को एकीकृत करके उसे मजबूत करना।

  डॉ. अंबेडकर का मानना था– 'सही मायने में प्रजातंत्र तब आएगा, जब महिलाओं को पिता की संपत्ति में बराबरी का हिस्सा मिलेगा। उन्हें पुरुषों के समान अधिकार मिलेंगे। महिलाओं की उन्नति तभी होगी, जब उन्हें परिवार एवं समाज में बराबरी का दर्जा मिलेगा। शिक्षा और आर्थिक तरक्की उनकी इस काम में मदद करेगी।' परन्तु ये किन्ही कारणों से पास न हो सका, बाद में 1955–56 हिंदू कोड बिल के प्रावधानों को 1. हिंदू विवाह अधिनियम, 2. हिंदू तलाक अधिनियम, 3. हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 4. हिंदू दत्तकग्रहण अधिनियम के रूप में अलग–अलग पास किया गया।

- **परिवार नियोजन–** भारत में प्रचलित परिवार नियोजन का नारा भले ही स्वतंत्रोपरांत का हो किंतु अंबेडकर ने इसकी अहमियत को बहुत पहले ही भांप लिया था। बच्चे ज्यादा और आय कम सयुंक्त रुप से संपूर्ण परिवार के दुख तथा दर्द का कारण बनता है। इसलिए उन्होंने बच्चे दो ही अच्छे का सुझाव दिया। इसके अतिरिक्त परिवार नियोजन के बेहतर क्रियान्वयन में महिलाओं को उनकी भागीदारी से अवगत कराया ताकि वे पारिवारिक दायित्वों का निर्वाहन बेहतर ढंग से कर पाये।

- **महिला विरोधी कुरीतियों को समाप्त करना–** बाबा साहब ने असहाय महिलाओं को उठकर लड़ने की प्रेरणा देने के लिए बाल विवाह और देव दासी प्रथा जैसी घटिया प्रथाओं के खिलाफ आवाज उठाई। 1928 में मुंबई में एक महिला कल्याणकारी सस्था की स्थापना की गई थी, जिसकी अध्यक्ष बाबा साहब की पत्नी रमाबाई थीं। भारतीय संदर्भ में देखा जाए तो आंबेडकर संभवतः पहली शख्सियत रहे हैं, जिन्होंने जातीय संरचना में महिलाओं की स्थिति को जेंडर की दृष्टि से समझने की कोशिश की। उनकी पूरी वैचारिकी के मंथन और दृष्टिकोण में सबसे अहम मंथन का हिस्सा महिला सशक्तिकरण था। भारतीय नारीवादी चिंतन और डॉ आंबेडकर के महिला चिंतन की वैचारिकी का केंद्र ब्राह्मणवादी पितृसत्तात्मक व्यवस्था और समाज में व्याप्त परंपरागत धार्मिक और सास्कृतिक मान्यताएं रही हैं, जो महिलाओं को पुरुषों के अधीन बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती रही है।

निष्कर्ष– डॉ. भीमराव अंबेडकर का मानना था कि राष्ट्र का विकास और कल्याण तभी आवश्यक रूप से हो सकता है जब लैंगिक समानता रहे। अतः महिलाएँ सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक क्षेत्र में अपने आपको स्वतंत्र महसूस करे और इसके साथ ही अपने आपको समान दृष्टि से महसूस करे। उनका मानना था कि ऐसा तब तक संभव नही है तब तक उन्हे कानून द्वारा स्वतंत्रता प्रदान नहीं की जाती। निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है कि डॉ. अम्बेडकर महिलाओं के शुभचिन्तक थे। उन्होंने भारत में महिलाओं की स्थिति में सुधार के लिए लैंगिक सामानता पर बल दिया। उन्होंने महिलाओं के लिए 'समान कार्य, समान वेतन, सार्वभौमिक व्यस्क मताधिकार, स्त्री

जब उन्होंने संविधान बनाया तो एक दलित होने के नाते उनसे तरह–तरह के सवाल पूछे गए और उन पर एक वर्ग के लिए काम करने का आरोप भी लगाया गया। उन्होंने कहा मैंने उस समाज के लिए काम नहीं किया जो मुझ पर भरोसा नहीं करता, संविधान पढ़िए।१ फिर उन्होंने कहा, ष्कुछ बुरी ताकतों ने मुझे सीमित करने की कोशिश की है॰। उन्होंने एक बार संविधान के दुरुपयोग के बारे में कहा था कि ष्अगर मुझे लगता है कि संविधान का दुरुपयोग हो रहा है, तो मैं पहले संविधान को जलाऊंगा॰।

डॉ. अम्बेडकर द्वारा शुरू किए गए सामाजिक आन्दोलन की वर्तमान युग में भी आवश्यकता है क्योंकि वर्तमान में समाज विभिन्न वर्गों में बंटा हुआ है। देश के कुछ हिस्सों में दलितों को अभी भी शादी के लिए घोड़ों की सवारी करने की अनुमति नहीं है, फिर भी दलितों और कमजोर वर्गों को सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक और राजनीतिक भेदभाव का सामना करना पड़ता है। स्कूल से लेकर विश्वविद्यालय तक दलितों को उसी तरह की पीड़ा और भेदभाव से गुजरना पड रहा है, जैसे पहले हुआ करता था। हाल ही में मुंबई की डॉ. पायल तारवी को आत्महत्या करनी पडी थी। हैदराबाद में रोहित विमुलकी की आत्महत्या और अन्य विश्वविद्यालयों में कुछ दलित छात्रों के साथ भेदभाव। इसलिए डॉ. अम्बेडकर के सामाजिक आंदोलन का महत्व बढ जाता है। इस आंदोलन को पुनर्जीवित करने की आवश्यकता है ताकि देश में सामाजिक न्याय की व्यवस्था स्थापित हो सके और सभी को समान शैक्षिक, आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक अधिकार प्राप्त हो सकें।

शिक्षा, अन्तर्राजातीय विवाह व कानूनी समानता का पुरजोर समर्थन किया। डॉ अंबेडकर ने कहा था, 'मैं नहीं जानता कि इस दुनिया का क्या होगा, जब बेटियों का जन्म ही नहीं होगा।' स्त्री सरोकारों के प्रति डॉ भीमराव आंबेडकर का समर्पण किसी जुनून से कम नहीं था। सामाजिक न्याय, सामाजिक पहचान, समान अवसर और संवैधानिक स्वतंत्रता के रूप में नारी सशक्तिकरण लिए उनका योगदान पीढी–दर–पीढी याद किया जायेगा।

<u>संदर्भ ग्रन्थ–</u>

1. कुमार अजीत, 2019, 'डॉ. भीमराव अम्बेडकर और भारतीय स्त्री', *जर्नल ऑफ एडवान्स एण्ड स्कॉलरी रिसर्चस इन एलाइड एजुकेशन,* वोल्यूम 16, इशू 1, पृष्ठ 1328–1332
2. सीमा, 2015, 'महिला अधिकारों के अग्रदूत– डॉ. अंबेडकर', *इन्टरनेशजन जर्नल ऑफ एप्लाइड रिसर्च,* वोल्यूम 1 (8), पृष्ठ 48–50
3. सिंह राजवीर, 2015, 'महिला सशक्तिकरण में डॉ. भीमराव अम्बेडकर की भूमिका (एक विश्लेषण)', *इण्डियन स्ट्रीम्स रिसर्च जर्नल,* वोल्यूम 5, इशू 7, पृष्ठ 1–4
4. सिंह ओम, कुमार हेमन्त एवं जागीर अनु, 2021, 'महिला उत्थान के लिए संवैधानिक प्रावधानों को लाने में डॉ. भीमराव अंबेडकर का योगदान : एक समाजशास्त्रीय अध्ययन भारतीय समाज के संदर्भ में', *रॉयल– एन इन्टरनेशलन मल्टीडीसीप्लेरी रिसर्च जर्नल,* वोल्यूम 10, इशू 1, पृष्ठ 22–31

भारतीय ज्ञान परम्परा

डॉ. कमलेश शक्टा
डॉ. अभिषेक कुमार भारद्वाज

N.B. PUBLICATIONS
SF-1 A-5/3 D.L.F, Ankur Vihar
Loni Ghaziabad-201102, U.P. (India)
Phones: 8700829963,9999829572
E-mail: nbpublications26@gmail.com

भारतीय ज्ञान परम्परा
प्रथम संस्करण–2023
© Editors
ISBN : 978-93-91550-15-8

वितरक: कुनाल बुक्स
4648/21, 1st फ्लोर, अंसारी रोड, दरियागंज, नई दिल्ली-110 002
फोन: 011-23275069, मो. : 9811043697, 9868071411
E-mail: kunalbooks@gmail.com, **Website :** www.kunalbooks.com

इस पुस्तक के सर्वाधिकार सुरक्षित हैं। लेखक की लिखित अनुमति के बिना इसके किसी भी अंश को, फोटो कॉपी एवं रिकार्डिंग, इलेक्ट्रॉनिक अथवा मशीनी किसी भी माध्यम से, अथवा ज्ञान के संग्रहण एवं पुनः प्रयोग की प्रणाली द्वारा किसी भी रूप में पुनरुत्पादित अथवा संचारित प्रसारित नहीं किया जा सकता।

The opinions and views expressed are exclusively those of the authors and in no way the editors or the publisher is responsible for the same.

Published in India by N.B. Publications, and printed at **Trident Enterprises**, Noida, (U.P.).

विषय-सूची

परामर्श मण्डल	*ii*
शुभकामना संदेश	*v-viii*
आभार	*ix*
भूमिका	*xi*
1. वेदकालीन समाज में कर्त्तव्यबोध की अवधारणा *डॉ. शालिनी शुक्ला*	1
2. महिला सशक्तीकरण : भारतशास्त्रीय दृष्टिकोण *डॉ. अखिलेश कुमार शुक्ल*	10
3. आश्रम एवं गुरूकुल – उच्च शिक्षा के केन्द्र *डॉ. सावित्री तड़ागी*	16
4. शाक्ततन्त्र में चन्द्रविद्या और तिथियों के रहस्य *डॉ. हर्षदेव माधव*	27
5. उपनिषद् संस्कृतिः दारा शिकोह तथा सूफी मत पर प्रभाव *डॉ. शशि शर्मा*	35
6. भारतीय शिक्षा व्यवस्थाः राष्ट्रीय शिक्षा नीति तथा अध्यापक शिक्षा *डॉ. प्रकाश चन्द्र पन्त*	43
7. भारतीय पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियाँ *जयदीप नेगी*	79
8. प्राचीन ज्ञान परम्परा में गुरु–शिष्य परम्परा *डॉ. बिंदिया त्रिवेदी*	87

9. भारतीय शास्त्रीय संगीत एवं तनाव प्रबन्धन 94
डॉ. अभिषेक कुमार भारद्वाज एवं डॉ. आरती यादव

10. भारतीय संस्कृति–विविधता में एकता 100
श्री पवन नौड़ियाल

11. भारतीय ज्ञान परम्परा (उद्योगपर्व के परिप्रेक्ष्य में) 106
उषा

12. भारतीय इतिहास लेखन और ज्ञान परम्परा 113
डॉ0 अखिल कुमार गुप्ता

13. भारोपीय परिवार तथा द्रविड़ परिवार पर संस्कृत का प्रभाव 123
ममता

14. आत्म–विश्लेषण एवं विचार प्रबन्धन में स्वाध्याय का अनुप्रयोग 135
डॉ. अभिषेक कुमार भारद्वाज एवं डॉ. बिपिन कुमार दूबे

15. श्रीमद्भगवद्गीता में ज्ञानयोग 144
डॉ. गायत्री गुर्वेन्द्र एवं डॉ. अमृत लाल गुर्वेन्द्र

16. भारतीय गुरुकुल–मन को उन्नत बनाने की प्रयोगशाला 155
प्रियाँशी कौशिक एवं डॉ अभिषेक कुमार भारद्वाज

17. भारतीय ज्ञान परम्परा एवं कबीर दास 163
दिनेश राम

18. भारत का एशिया महाद्वीप में प्रभाव 171
डॉ. तौफिक अहमद

19. वैदिक वाङ्मय में वर्णित विभिन्न रूपा नारी 177
डॉ. बलजीत

20. भारत की प्राचीन राजव्यवस्था 184
अनीता टम्टा

21. भारतीय संस्कृति में विश्वबन्धुत्व की भावना 189
डॉ. हेमवती नन्दन पनेरू

अध्याय
19

वैदिक वाङ्मय में वर्णित विभिन्न रूपा नारी

डॉ0 बलजीत
असिस्टेंट प्रोफेसर,
संस्कृत विभाग, राजकीय स्नातकोत्तर विद्यालय, कपकोट (बागेश्वर)

सम्राज्ञी श्वसुरे, सम्राज्ञी श्वश्रवां भव।
ननान्दरि सम्राज्ञी भव, सम्राज्ञी अधिदेवृषु।।

–ऋग्वेद, १०.८५.४६

सम्राज्ञ येधि श्वशुरेषु सम्राज्ञयुत देवृषु।
ननान्दुः सम्राज्ञयेधि सम्राज्ञयुत श्वश्रवा।।

अथर्ववेद, १४.१४४

वेदकालीन नारी का अपने मायके की सम्पत्ति पर भी अधिकार होता था। उसे दायभाग कहते थे। नारी का अधिकार व कर्त्तव्य हर प्रकार से सम्मानित रहता तथा उत्कृष्ट रहता था, आज भी करता है और भविष्य में भी करता रहेगा। ऐसा मेरा विचार है। नारी सर्व–शक्ति–सम्पन्ना मानी गई। नारी जैसी सहनशीलता न तो किसी मनुष्य में है न ही किसी अन्य में। नारी के समान इस संसार मे कोई नहीं है। नारी विनम्रता, ममता, यश व त्याग की प्रतिमूर्ति है। घर की सम्राज्ञी के रूप में नारी को प्रतिष्ठा मिली है तथा परिवार के सम्पूर्ण सदस्यों को उस प्रतिष्ठित नारी के शासन में रहने को निर्देशित किया है। शनैः शनैः नारी का महत्त्व इतना बढ़ गया कि उसके बिना अकेला पुरुष अधूरा और अपूर्ण माना गया –

एतावानेव पुरुषो यज्जायाऽऽत्मा प्रजेति ह।
विप्राः प्राहुस्तथा चैतद्यो भर्ता सा स्मृतांगना।।

–शतपथ ब्राह्मण, ५.२.१.१०

नारी अपने प्रत्येक कर्त्तव्यों एवं उत्तरदायित्वों का अपनी सूझबूझ तथा समझ से भली–भाँति पूर्णरूपेण समर्पण भावना से निभाती थी। पत्नी के कर्त्तव्यों के विषय में मनुस्मृति एवं गरुड़ पुराण में जो प्राप्त होता है वह अत्यन्त ग्राह्य है –

सदा प्रहृष्टया भाव्यं गृहकार्येषु दक्षया।
सुसंस्कृतोपस्करया व्यये चामुक्तहस्तया।।

–मनुस्मृति ५.१५०

सा भार्या गृहे दक्षा सा भार्या या प्रियंवदा।
स भार्या या पति–प्राणा सा भार्या या पतिव्रता।।

–गरुड़पुराण १०८.१८

उसका साथ देना, लोक व्यवहार में कुशल व दक्ष होना, पति के प्रति समर्पित रहना, पति को अपना सर्वस्व मानना तथा पति द्वारा पोषित–पालित होना आदि कार्य शामिल थे। पत्नी के इन कर्त्तव्यों को भली–भाँति समझकर यह प्रश्न स्पष्ट हो गया है कि महाभारत में पत्नी को 'जाया' क्यों कहा गया है। महाभारत में पति द्व ारा पोष्य होने के कारण पत्नी को भार्या तथा पति द्वारा स्वयं भार्या के गर्भ में प्रवेश करके पुत्र रूप में जन्म लेने के कारण 'जाया' कहा गया है

महाभारत, शान्तिपर्व, २६६.५२

नारी अपने पत्नी धर्म को तो भली–भाँति पूर्णरूपेण निभाती थी। लेकिन इसके साथ–ही–साथ अपने मातृत्व धर्म का पालन भी बड़ी कुशलता, सूझ–बूझ तथा स्नेह से करती थीं। 'माता' (मातृ) शब्द सम्मानार्थक 'मान' धातु से तृच् प्रत्यय पूर्वक निष्पन्न हुआ।

माता भूमिः पुत्रोऽहं पृथिव्याः।

अथर्ववेद ३.३०.२

भक्त भी सन्तति के समान ही पिता से माता को अधिक महत्त्व देकर ईश्वर परमात्मा को माता के समान मानता हुआ अपनी स्नेहपूरित भक्ति भावना प्रदर्शित करता है

त्वं हि नः पितावरी, त्वं माता शतक्रतो बभूविथ

ऋग्वेद ८.६८.११

[illegible] माता का कर्त्तव्य है– (१) गर्भ में सन्तति को धारण

[illegible] निविष्टं लोकपालानुभावैः।।

–रघुवंश २.७५ का उत्तरार्ध

रानी सुदक्षिणा ने दिलीप का वंश चलाने के लिए आठ लोकपालों के तेज से युक्त गर्भ को धारण किया।

(2) अपने में धारण की हुई सन्तति की रक्षा के लिए प्रयत्नशील रहना, गर्भवती स्त्री के लिए–जोर से हँसना, रोना, भारी वजन उठाना, कलह करना निषिद्ध था, ताकि गर्भस्थ शिशु सुरक्षित रहे–

मासो ऽष्टमात्पूर्वमिदं त्वयोच्चैर्हासादिकं कर्म न देवि कार्यम्।

यशस्तिलकचम्पू, पृ०सं० ([illegible])

बालक यशोधर की माता को निर्देश दिया गया है कि गर्भवती स्त्री को [illegible] महीने के पूर्व जोर से हँसना आदि कार्य नहीं करने चाहिए।

(3) बालक जो माँ के गर्भ से उत्पन्न हुआ है उसे ममता का प्रतीक [illegible] कराना, (४) बालक को खाना–पीना, बोलना–चलना, उठना–बैठना आदि की शिक्षा देना, और (५) सदैव बालक के व्यक्तित्व को निखारने के लिए अर्थात् श्रेष्ठ [illegible] के लिए प्रयत्नशील होना।

इन विभिन्न कर्त्तव्यों को ध्यान में रखकर महाभारत में माता को अनेक विशेषण [illegible] से सम्मानित किया गया है–

कुक्षिसंधारणाद् धात्री जननाज्जननी स्मृता।
अङ्गुना वर्धनादम्बा वीरसूत्वेन वीरसूः।।
शिशोः शुश्रूषणाच्छुश्रूर्माता देहमनन्तरम्।

–महाभारत, शान्तिपर्व २६६.[illegible]

माता को गर्भधारण करने के कारण धात्री, जन्म देने के कारण जननी, [illegible] का पोषण करने के कारण अम्बा, वीर सन्तान का प्रसव करने के कारण वीरसू [illegible] शिशु की सेवा करने के कारण ही शुश्रु कहा जाता है। वास्तव में माता ही शरीर है [illegible] इसका अभिप्राय यह है कि जिस प्रकार हम अपने शरीर को प्रिय मानकर [illegible] करते है, उसी प्रकार हमें अपने शरीर के समान ही माता भी प्रिय तथा संरक्षणी [illegible] है।

सन्तान की सबसे श्रेष्ठ शिक्षक माता है। वह जैसे संस्कार पुत्र में डालती है उसका [illegible] व्यक्तित्व–निर्माण उसी के अनुरूप हो जाता है। इसी लिए हमारे ऋषियों द्वारा माता [illegible]

सर्वश्रेष्ठ गुरु माना है। उनका मानना है कि उपाध्याय से आचार्य का आचार्य से पिता का तथा पिता से माता का गौरव अधिक है–

उपाध्यायाद्दशाचार्य आचार्याणां शतं पिता।
पितुर्दशशतं माता गौरवेणातिरिच्यते।।

वसिष्ठ धर्मसूत्र, १३.४८

उपाध्यायान्दशाचार्य आचार्याणां शतं पिता।
सहस्रं तु पितॄन्माता गौरवेणातिरिच्यते।।

–मनुस्मृति, २.१४५

एक देशमुपाध्याय ऋत्विग्यज्ञकृदुच्यते।
एते मान्या यथापूर्वमेभ्यो माता गरीयसी।।

याज्ञवल्क्यस्मृति, १.३५

माता परमो गुरुः। नास्ति मातृसमो गुरुः।
महाभारत, शान्तिपर्व, १०६.१६

वेदकालीन नारियों को समाज में प्रतिष्ठित एवं सम्मानीय स्थान प्राप्त होने के साथ ही उन्हें अपने दायित्वों का निर्वाहन भी बड़ी कुशलता से करना आता था। नारी को अपने गौरवपूर्ण कर्त्तव्यों के कारण ऋग्वेद में नारी का गौरव बताते हुए उसे 'ब्रह्मा' कहा गया है–

स्त्री हि ब्रह्मा बभूविथ।

ऋग्वेद ८ .३३ .१६

इसका आशय यह है कि वह ज्ञान में उत्कृष्ट होती है। वह बालकों के शिक्षण के अतिरिक्त यज्ञ में भी ब्रह्मा का स्थान ग्रहण कर सकती है और उनके विभिन्न संस्कार करा सकती है। वेदों में इन्द्राणी को आदर्श नारी के रूप में प्रस्तुत किया गया है। उसका कथन है कि मैं समाज में अग्रगम्य हूँ, मूर्धन्य हूँ और प्रखर वक्ता हूँ–

माता अपने पुत्र को ममता से पालती है, किन्तु मर्यादा का उल्लंघन करने वाले, कलह उत्पन्न करने वाले, पुत्रों को दण्ड देने अथवा दिलवाने का भी सामर्थ्य ... पुत्र को सन्मार्ग की ओर उन्मुख करने वाली तथा कुमार्ग से रोकने वाली

यह सर्वथा सत्य है कि माता के जीवन से ही मनुष्य का जीवन जुड़ा है। माता जो स्नेह की मूर्ति है उस माता के जीवित रहने पर ही मनुष्य सनाथ रहता है। माता के समान बालक का कोई भी भली–भाँति पालन–पोषण नहीं कर सकता। माता सन्तान के प्रति अपने सम्बन्ध में समर्थ–असमर्थ का भेद नहीं करती। उस स्नेहमयी ममतामयी और वात्सल्यमयी माता के समान न इस संसार में दूसरी छाया है न ही दूसरा सहारा और न ही दूसरी रक्षा है। इस सम्पूर्ण संसार में बालक के लिए माँ के समतुल्य कोई दूसरी प्रिय वस्तु नहीं है। नारी का अपने प्रत्येक रूप में विशेष स्थान है। नारी अपनी कर्त्तव्यनिष्ठा, सेवापरायणता, धर्मपरायणता तथा पातिव्रत्य आदि अपने गुणों से पति एवं प्रतिगृह को प्रसन्न करती हुई अपने पति की अर्धांगिनी बन जाती है और तभी यह सार्थकता बनती है कि गृहस्थाश्रम सुख प्राप्ति का साधन है तथा स्त्री रत्न ही वह सुख है–

गृहाश्रमः सुखार्थाय पत्नीरत्नं हि तत्सुखम्।।

–पद्मपुराण, उत्तराखण्ड

नारी का पुरुष के जीवन में विशेष महत्त्व है। नारी पत्नी रूप में पति की अर्धांगिनी बनकर उसका जीवन पर्यन्त साथ देती है। माता रूप में वह पुरुष रूपी सन्तान का पालन–पोषण कर उसको जीवन के हर पहलु से अवगत कराती है। नारी आवश्यकतानुसार पुरुष की दासी, सखी, भार्या, भगिनी, माता तथा हित चाहने वाली है। इस प्रकार घर गृहिणी से ही घर कहा जाता है–

नगृहं गृहमित्याहुः गृहिणी गृहमुच्यते।

–महाभारत, शान्तिपर्व १४४.१

नारी को देवी रूप माना जाता है। नारी के अनेक रूप है– कन्या, बहन, पुत्री, पत्नी, माता, भाभी, बहू, ननद, बुआ, चाची, ताई, देवरानी जेठानी तथा मामी आदि। नारी इन सभी रूपों में अपने कर्त्तव्यों, उत्तरदायित्वों तथा अपने कार्यों का भली–भाँति निर्वाह करके अपने सम्पूर्ण सम्बन्धों को मजबूती प्रदान करती है। नारी ने समाज में अपने अस्तित्व को इतना ऊँचा उठा लिया है जिसे दुनिया की कोई भी ताकत डिगा नहीं सकती। नारी समाज का अभिन्न तथा अटूट अंग है। कन्या रूप में नारी की नव दुर्गा का प्रतीक मानकर पूजा करना और मांगलिक अवसरों पर उनकी उपस्थिति पुत्री की महत्ता को भली–भाँति प्रदर्शित करती है। वैदिक काल में कन्या भी ब्रह्मचर्य पालन पूर्वक पढ़ती थीं। कन्याओं का उपनयन संस्कार भी किया जाता था

माना जाता है कि ब्रह्मचर्य का पालन करने से कन्या योग्य पति को प्राप्त करती थी।

वैदिक काल में पुत्री को पति चुनने का अधिकार नहीं था यह अधिकार पिता का था। कन्या भी पिता की इच्छा अनुरूप वर पाने के लिए प्रयत्नशील रहती थी। कन्या पति के प्रति अपने कर्तव्य को निभाती थी फ़िर चाहे उसे किसी भी हद तक जाना पड़े। नारियाँ वाद–विवाद तथा अन्य शास्त्रार्थ ज्ञान में निपुण थी। ब्राह्मणों से वाद–विवाद के अवसर पर गार्गी ने अपने पति याज्ञवल्क्य को विजय दिलवाईं (बृहदारण्य कोपनिषद ३.८.१–११) याज्ञवल्क्य की दोनों पत्नियाँ गार्गी तथा मैत्रेयी जो पति के साथ तथा आगन्तुकों के साथ शास्त्रार्थ किया करती थीं। ऋषियों के समान ही लोमशा एवं सूर्या नामक स्त्रियों ने वैदिक मन्त्रों का दर्शन किया था। अगस्त्य पत्नी लोपामुद्रा भी विदुषी थी। अपाला ने अपने पिता के ही गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त की थी। वात्स्यायन ने अपने मत में यह प्रकट किया है कि पति विरहित स्त्री विदेश में भी अपनी प्राप्त की हुई विद्या के माध्यम से अपना जीवन सुखपूर्वक व्यतीत कर सकती थी। वेदकालीन स्त्रियाँ सामान शिक्षा प्राप्त करने के साथ–साथ आध्यत्मिक शिक्षा भी ग्रहण करती थीं। अपनी प्राप्त की गई शिक्षा के माध्यम से ही वह पतिगृह में पति एवं उसके सम्बन्धियों को प्रसन्न कर पाती थीं। उस समय की स्त्रियों को शिक्षा ही नहीं यज्ञादि धार्मिक कार्यों को भी करने का अधिकार था। वैदिक वाङ्मय में इसके प्रमाण उपलब्ध है।

यज्ञ दधे सरस्वती। —ऋग्वेद १.३.११

संहोत्रं स्म पुरा नारी समनं नाव गच्छति। —अथर्ववेद २०.१२६.१०

वैदिक वाङ्मय में वही पत्नी पोषण करने योग्य है जो गृह कार्य में दक्ष व निपुण हो, प्रियवचन बोलने वाली हो, पति को अपने प्राण समान समझती हो तथा पतिव्रता हो (कहा जा सकता है कि इन गुण–कर्त्तव्यों से रहित पत्नी 'भार्या' कही जाने योग्य नहीं है।) शुक्रनीति में भी पति के प्रति प्रेम रखने वाली, गृहकार्य कुशल, पुत्र उत्पन्न करने वाली, शीलवती अथवा युवती स्त्री को ही पति के प्रेम की अधिकारिणी माना गया है।

वेदकालीन समाज में नारी अपने पति के प्रति अपने योग्य पत्नी के कर्त्तव्यों को पूर्णरुपेण निभातीं थीं। उसे पत्नी रूप में सम्मानीय पदवी प्राप्त थी। उसका विशेष ... था। नारी पत्नी रूप में अपने पति की निस्वार्थ भावना से सेवा–शुश्रुषा ... कर्त्तव्यों में पति के सभी कार्यों में उसके साथ

रहना, लोक व्यवहार में कुशल व दक्ष होना, पति के प्रति समर्पित रहना, पति को अपना सर्वस्व मानना तथा पति द्वारा पोषित पालित होना आदि कार्य शामिल थे।

वैदिक वाङ्मय में दाम्पत्य जीवन में स्त्रियाँ महत्त्वपूर्ण स्थान पर थी। वह घर की मालकिन (स्वामिनी) थी, और आज भी है। उसके बिना घर के बारे में सोचना भी असम्भव है। नारी से ही सम्पूर्ण संसार है। वैदिक युग से लेकर अद्यावधि नारी समग्ररूपेण अधिकार सम्पन्ना है। भारतवर्ष में ही नहीं वैश्विक परिवेश में भी नारी शक्ति सर्वविदित है।

ग्रन्थ–सूची

१. भारतीय संस्कृति – डॉ० किरन टण्डन
२. महाभारत कालीन नारी– एक – तुलनात्मक अनुशीलन डॉ० श्रीमती स्कॉलस्टिका कुजूर
३. वैदिक साहित्य का इतिहास – डॉ० कपिल देव त्रिवेदी
४. बाल्मीकि रामायण
५. कल्याण हिन्दू संस्कृति अंक
६. ऋग्वेद (व्याख्या) – सातवलेकर
८. अथर्ववेद (व्याख्या) – श्रीराम शर्मा आचार्य

शिक्षा और समाज

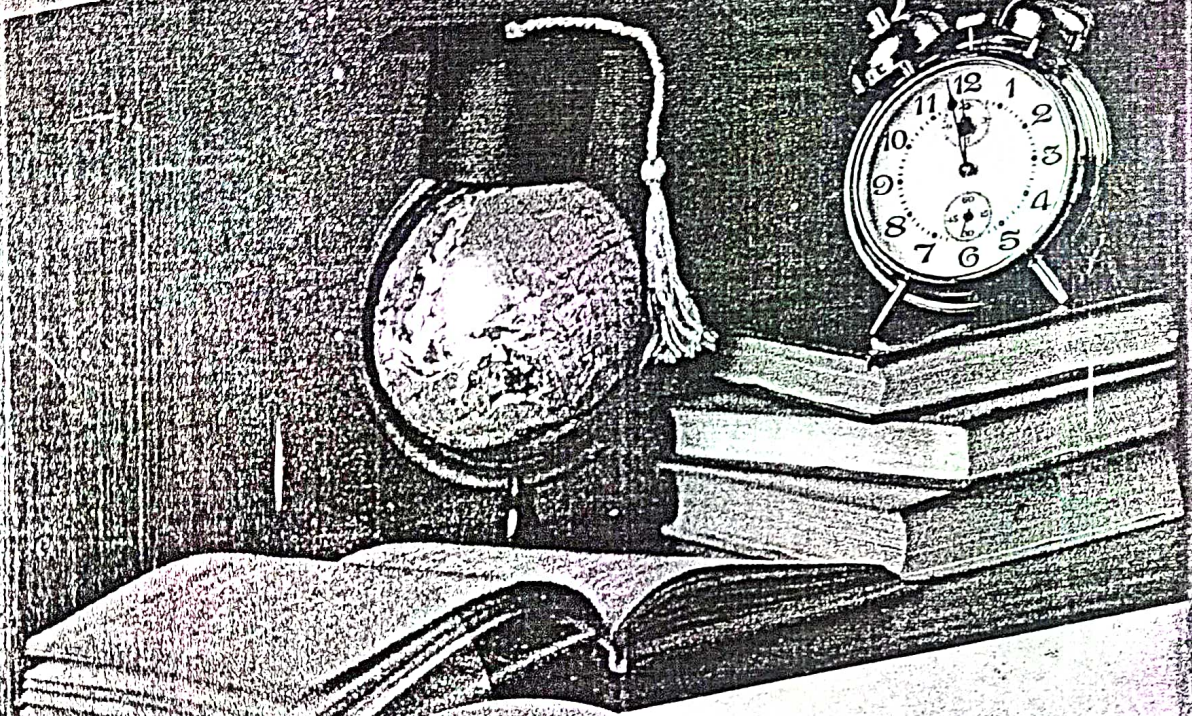

डॉ. अरुण कुमार चतुर्वेदी
बिनीता
डॉ. उमा देवी

इस पुस्तक के किसी भी अंश को लेखक की अनुमति के बिना पुनर्प्रकाशित या अनूदित करना अथवा किसी दृश्य, श्रव्य एवं प्रचार माध्यम में उपयोग करना वर्जित है।

ISBN : 978-93-5552-392-1

पुस्तक	:	शिक्षा और समाज
©	:	लेखक
संपादक	:	डॉ. अरुण कुमार चतुर्वेदी, बिनीता, डॉ. उमा देवी
प्रकाशक	:	**निखिल पब्लिशर्स एण्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स**
		37, "शिवराम कृपा" विष्णु कालोनी, शाहगंज, आगरा-10 (उ.प्र.)
		मो० : 9458009531-38
		E-mail : nikhilbooks.786@gmail.com
		website : www.nikhilbooks.com
संस्करण	:	प्रथम 2023
मूल्य	:	₹ 550/- ($20)
शब्द सज्जा	:	शिखा ग्राफिक्स
मुद्रक	:	श्री पूजा प्रिंटर्स

अनुक्रमणिका

1. भारतीय शिक्षा के परिप्रेक्ष्य में शैक्षिक नवाचार एवं नूतन आयाम–एक अध्ययन 19
डॉ0 देवेन्द्र सिंह चम्याल प्रो. (डॉ0) भीमा मनराल

2. सामाजिक विकास में शिक्षा और संस्कृति की भूमिका 33
डॉ. सुभाष चन्द्र मीणा

3. संस्कृति, शिक्षा और समाज विकास में महिलाओं की भूमिका 40
अजरा सुल्ताना

4. समाज के विकास में महिलाओं की भूमिका 46
दीपिका नेगी

5. बालकों के सामाजिक विकास में शिक्षा की भूमिका 57
सुलोचना कुमारी

6. नई शिक्षा नीति 2020 और भारतीय शिक्षा दर्शन 65
डॉ0 किरन गर्ग

7. राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 में प्राथमिक शिक्षा का स्वरूप : वैश्विक संदर्भ में 70
प्रवेश कुमार जायसवाल

8. सामाजिक विकास में शिक्षा और संस्कृति की भूमिका 77
सुमन पिलख्वाल

9. वर्तमान शैक्षिक परिदृश्य में डॉक्यूमेंट्री शिक्षण : एक नवाचार 84
डॉ. अमिता जैन, पूजा शर्मा

10. रामायण कालीन संस्कृति एवं शिक्षा का स्वरुप एक अध्ययन 91
शोभा आर्या

11. कुमाऊँनी लोकगीत : समाज जीवन की प्रवाहात्मक अभिव्यक्ति 98
देवराम, गौरव कुमार

12. सामाजिक जीवन में मूल्यों का महत्व 105
डॉ. उमेश चन्द्र पाण्डेय

13. वैदिक समाज में नारी की भूमिका 111
डॉ0 बलजीत

14. शिक्षा में नवाचार के साथ–साथ भाषा शिक्षण में नवाचार की आवश्यकता और महत्व 117
नागोड वितान, ब्रेसिल

15. वैश्विक सामाजिक संरचना में शिक्षा एवं साहित्य की भूमिका 128
सोनिया रानी

13.

वैदिक समाज में नारी की भूमिका

डॉ0 बलजीत

सार

वेद हमारी संस्कृति के मूलाधार है। वेदों में नारी विषयक महत्व की अवधारणा प्राप्त होती है। निर्माण तात्पर्य "सृजन"। एकमात्र नारी जाति को प्रकृति ने सृजन शक्ति प्रदान की है। नारी, स्त्री, महिला इन उपमाओं से पूरित नारी सृष्टि का निर्माण, पोषण, संरक्षण, पुष्पित – पल्लवित करती है। नारी जाति के अभाव में इस संसार व पुरुष का अस्तित्व संभव नहीं है। नारी प्रत्येक रूप में पूजनीय एवं सम्मानीय है। वैदिक युग नारी की स्थिति और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की समानता के संबंध में स्वर्णयुग था उस काल के अंतर्गत महिलाओं को पुरुषों के साथ उचित रूप में स्वतंत्रता और समानता का उपहार मिला। वैदिकयुगीन नारियों ने पुरुषों के साथ गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त की जिनमें घोषा, गार्गी और मैत्रेयी जैसी कई ब्रहवादिनी है जिन्होने वेदों आदि में पारंगतता प्राप्त की इस प्रकार नारी की भूमिका सामाजिक, धार्मिक शैक्षिक और व्यवसायिक स्तर पर पुरुषों के समकक्ष प्राप्त करने में प्रयत्नशील हैं, नारी जाति की महिमां के वैविध्य तथा समाज में नारी की भूमिका के विषय में चर्चा की गई है।

प्रस्तावना

सम्राज्ञी श्वसुरे, सम्राज्ञी श्वश्रवां भव ।
ननान्दरि सम्राज्ञी भव, सम्राज्ञी अधिदेवृषु ।। १
सम्राज्ञ येधि श्वशुरेषु सम्राज्ञयुत देवृषु ।
ननान्दुः सम्राज्ञयेधि सम्राज्ञयुत श्वश्रवा ।।२

वैदिक समाज में नारी की भूमिका का अत्यधिक महत्व होता है जिनमें उनके विभिन्न अधिकारों कर्त्तव्यों दायित्वों विवेचन किया गया है । वेदकालीन नारी का अपने मायके की सम्पत्ति पर भी अधिकार होता था। उसे दायभाग कहते थे। नारी का अधिकार व कर्त्तव्य हर प्रकार से सम्मानित तथा उत्कृष्ट रहता था आज भी रहता है और भविष्य में भी रहेगा। ऐसा मेरा विचार है। नारी सर्व–शक्ति–सम्पन्ना मानी गई। नारी जैसी सहनशीलता न तो किसी मनुष्य में है न ही किसी अन्य में नारी के समान इस संसार में कोई नहीं है। नारी विनम्रता, ममता, यश व त्याग की प्रतिमूर्ति

है। घर की सम्राज्ञी के रूप में नारी को प्रतिष्ठा मिली हैं तथा परिवार के सम्पूर्ण सदस्यों को उस प्रतिष्ठित नारी के शासन में रहने को निर्देशित किया है। शनैः शनैः नारी का महत्त्व इतना बढ़ गया कि उसके बिना अकेला पुरुष अधूरा और अपूर्ण माना गया।३

नारी अपने प्रत्येक कर्त्तव्यों एवं उत्तरदायित्वों का अपनी सूझबूझ तथा समझ से भली–भाँति पूर्णरूपेण समर्पण भावना से निभाती थी । पत्नी के कर्त्तव्यों के विषय में मनुस्मृति एवं गरुड़ पुराण में जो प्राप्त होता है वह अत्यन्त ग्राह्य है ।४ नारी द्वारा पति का साथ देना, लोक व्यवहार में कुशल व दक्ष होना, पति के प्रति समर्पित रहना, पति को अपना सर्वस्व मानना तथा पति द्वारा पोषित–पालित होना आदि कार्य शामिल थे। पत्नी के इन कर्त्तव्यों को भली–भाँति समझकर यह प्रश्न स्पष्ट हो गया है कि महाभारत में पत्नी को 'जाया' क्यों कहा गया है। महाभारत में पति द्वारा पोष्य होने के कारण पत्नी को भार्या तथा पति द्वारा स्वयं भार्या के गर्भ में प्रवेश करके पुत्र रूप में जन्म लेने के कारण 'जाया' कहा गया है ।५ नारी अपने पत्नी धर्म को तो भली–भाँति पूर्णरूपेण निभातीं थी । लेकिन इसके साथ ही साथ अपने मातृत्व धर्म का पालन भी बड़ी कुशलता, सूझ–बूझ तथा स्नेह से करती थीं। 'माता' (मातृ) शब्द सम्मानार्थक 'मान्' धातु से तृच् प्रत्यय पूर्वक निष्पन्न हुआ।६

भारतीय परिवार की सम्मानिता सदस्या 'माता' अपनी शाब्दिक व्युत्पत्ति को सार्थक करती है। माता बालक को नौ महीने अपने गर्भ में धारण कर नवजात शिशु को अपने स्नेह ममता से सींचती संवर्धित करती है, माता अपनी योग्य सन्तान की प्राप्ति के लिए व्रत–पूजा तथा उसकी सुरक्षा करती है, लक्ष्मी, दुर्गा, गंगा, सरस्वती, यमुना आदि को भी व्यक्ति इसी आशय से माता के पद पर प्रतिष्ठित करता है कि ये दिव्यमातृशक्तियाँ प्रसन्न होकर उसकी रक्षा करें, उसे गुणवान सदाचारी बनाएँ । धरती माता की गोद होने के कारण पूज्य है । अथर्ववेद के अनुसार ७ भूमि मेरी माता हैं मै पृथ्वी का पुत्र हूँ ८ भक्त भी सन्तति के समान ही पिता से माता को अधिक महत्त्व देकर ईश्वर परमात्मा को माता के समान मानता हुआ अपनी स्नेहपूरित भक्ति भावना प्रदर्शित करता है ८ ८

भारतीय संस्कृति की दृष्टि से माता का कर्त्तव्य है– (१) गर्भ में सन्तति को धारण करना ८ ९ रानी सुदक्षिणा ने दिलीप का वंश चलाने के लिए आठ लोकपालों के तेज से युक्त गर्भ को धारण किया। (२) स्त्री द्वारा अपने में धारण की हुई सन्तति की रक्षा के लिए प्रयत्नशील रहना गर्भवती स्त्री के लिए–जोर से हँसना, रोना, भारी वजन उठाना, कलह करना निषिद्ध

था, ताकि गर्भस्थ शिशु सुरक्षित रहे । १० बालक यशोधर की माता को निर्देश दिया गया है कि गर्भवती स्त्री को आठ महीने के पूर्व जोर से हँसना आदि कार्य नहीं करने चाहिए। (३) बालक जो माँ के गर्भ से उत्पन्न हुआ है उसे ममता का प्रतीक दुग्धपान कराना, (४) बालक को खाना–पीना, बोलना–चलना, उठना–बैठना आदि की शिक्षा देना, और (५) सदैव बालक के व्यक्तित्व को निखारने के लिए अर्थात् श्रेष्ठ बनाने के लिए प्रयत्नशील होना। इन विभिन्न कर्त्तव्यों को ध्यान में रखकर महाभारत में माता को अनेक विशेषणों से सम्मानित किया गया है । ११ माता को गर्भधारण करने के कारण धात्री, जन्म देने के कारण जननी, अंगों का पोषण करने के कारण अम्बा, वीर सन्तान का प्रसव करने के कारण वीरप्रसू, शिशु की सेवा करने के कारण ही शुश्रु कहा जाता है। वास्तव में माता ही शरीर है। इसका अभिप्राय यह है कि जिस प्रकार हम अपने शरीर को प्रिय मानकर संरक्षित करते है, उसी प्रकार हमें अपने शरीर के समान ही माता भी प्रिय तथा संरक्षणीय है। सन्तान की सबसे श्रेष्ठ शिक्षक माता है। वह जैसे संस्कार पुत्र में डालती है उसका व्यक्तित्व–निर्माण उसी के अनुरूप हो जाता है। इसीलिए हमारे ऋषियों ने माता को सर्वश्रेष्ठ गुरु माना है। उनका मानना है कि उपाध्याय से आचार्य का आचार्य से पिता का तथा पिता से माता का गौरव अधिक है।१२

वेदकालीन नारियों को समाज में प्रतिष्ठित एवं सम्मानीय स्थान प्राप्त होने के साथ ही उन्हें अपने दायित्वों का निर्वाहन भी बड़ी कुशलता से करना आता था। नारी को अपने गौरवपूर्ण कर्त्तव्यों के कारण ऋग्वेद में नारी का गौरव बताते हुए उसे 'ब्रह्मा' कहा गया है१ १३ इसका आशय यह है कि वह ज्ञान में उत्कृष्ट होती है। वह बालकों के शिक्षण के अतिरिक्त यज्ञ में भी ब्रह्मा का स्थान ग्रहण कर सकती है और उनके विभिन्न संस्कार करा सकती है। वेदों में इन्द्राणी को आदर्श नारी के रूप में प्रस्तुत किया गया है उसका कथन है कि मैं समाज में अग्रगम्य हूँ, मूर्धन्य हूँ और प्रखर वक्ता हूँ । १४ माता अपने पुत्र को ममता से पालती है किन्तु मर्यादा का उल्लंधन करने वाले, कलह उत्पन्न करने वाले, पुत्रों को दण्ड देने अथवा दिलवाने का भी सामर्थ्य रखती है। पुत्र को सन्मार्ग की ओर उन्मुख करने वाली तथा कुमार्ग से रोकने वाली स्नेह तथा वात्सल्य की प्रतिमूर्ति रूपी माता सदैव प्रणम्य एवं आदरणीय है। यह सर्वथा सत्य है कि माता के जीवन से ही मनुष्य का जीवन जुड़ा है। माता जो स्नेह की मूर्ति है उस माता के जीवित रहने पर ही मनुष्य सनाथ रहता है। माता के समान बालक का कोई भी भली–भाँति पालन–पोषण नहीं कर सकता। माता! सन्तान के

प्रति अपने सम्बन्ध में समर्थ–असमर्थ का भेद नहीं करती। उस स्नेहामयी, ममतामयी और वात्सल्यमयी माता के समान न इस संसार में दूसरी छाया है न ही दूसरा सहारा और न ही दूसरी रक्षा है। इस सम्पूर्ण संसार में बालक के लिए माँ के समतुल्य कोई दूसरी प्रिय वस्तु नहीं है। नारी का अपने प्रत्येक रूप में विशेष स्थान है। नारी अपनी कर्त्तव्यनिष्ठा, सेवापरायणता, धर्मपरायणता तथा पातिव्रत्य आदि अपने गुंणों से पति एवं प्रतिगृह को प्रसन्न करती हुई अपने पति की अर्धांगिनी बन जाती है और तभी यह सार्थकता बनती है कि गृहस्थाश्रम सुख प्राप्ति का साधन है तथा स्त्री रत्न ही वह सुख है। १५ नारी का पुरुष के जीवन में विशेष महत्त्व है। नारी पत्नी रूप में पति की अर्धांगिनी बनकर उसका जीवन पर्यन्त साथ देती है। माता रूप में वह पुरुष रूपी सन्तान का पालन–पोषण कर उसको जीवन के हर पहलु से अवगत कराती है। नारी आवश्यकतानुसार पुरुष की दासी, सखी, भार्या, भगिनी, माता तथा हित चाहने वाली है। इस प्रकार घर गृहिणी से ही घर कहा जाता है। १६

नारी को देवी रूप माना जाता है। नारी के अनेक रूप है– कन्या, बहन, पुत्री, पत्नी, माता, भाभी, बहू, ननद, बुआ, चाची, ताई, देवरानी जेठानी तथा मामी आदि । नारी इन सभी रूपों में अपने कर्त्तव्यों, उत्तरदायित्वों तथा अपने कार्यों का भली–भाँति निर्वाह करके अपने सम्पूर्ण सम्बन्धों को मजबूती प्रदान करती है। नारी ने समाज में अपने अस्तित्व को इतना ऊँचा उठा लिया है जिसे दुनिया की कोई भी ताकत डिगा नहीं सकती। नारी समाज का अभिन्न तथा अटूट अंग है। कन्या रूप में नारी की नव दुर्गा का प्रतीक मानकर पूजा करना और मांगलिक अवसरों पर उनकी उपस्थिति पुत्री की महत्ता को भली–भाँति प्रदर्शित करती है। वैदिक काल में कन्याएँ भी ब्रह्मचर्य पालन पूर्वक पढ़ती थीं। कन्याओं का उपनयन संस्कार भी किया जाता है माना जाता है कि ब्रह्मचर्य का पालन करने से कन्या योग्य पति को प्राप्त करती थी।

वैदिक काल में पुत्री को पति चुनने का अधिकार नहीं था यह अधिकार पिता का था। कन्या भी पिता की इच्छा अनुरूप वर पाने के लिए प्रयत्नशील रहती थी। कन्या पति के प्रति अपने कर्तव्य को निभाती थी फिर चाहे उसे किसी भी हद तक जाना पड़े। नारियाँ वाद–विवाद तथा अन्य शास्त्रार्थ ज्ञान में निपुण थी। ब्राह्मणों से वाद–विवाद के अवसर पर गार्गी ने अपने पति याज्ञवल्क्य को विजय दिलवाई (बृहदारण्य कोपनिषद ३.८.१–११) याज्ञवल्क्य की दोनों पत्नियाँ गार्गी तथा मैत्रेयी जो पति के साथ तथा आगन्तकों के साथ शास्त्रार्थ किया करती थीं। ऋषियों के समान ही रोमशा

एवं सूर्या नामक स्त्रियों ने वैदिक मन्त्रों का दर्शन किया था। अगस्त्य पत्नी लोपामुद्रा भी विदुषी थी। अपाला ने अपने पिता के ही गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त की थी। वात्स्यायन ने अपने मत में यह प्रकट किया है कि पति विरहित स्त्री विदेश में भी अपनी प्राप्त की हुई विद्या के माध्यम से अपना जीवन सुखपूर्वक व्यतीत कर सकती थी। वेदकालीन स्त्रियाँ सामान शिक्षा प्राप्त करने के साथ–साथ आध्यत्मिक शिक्षा भी ग्रहण करती थीं। अपनी प्राप्त की गई शिक्षा के माध्यम से ही वह पतिगृह में पति एवं उसके सम्बन्धियों को प्रसन्न कर पाती थीं। उस समय की स्त्रियों को शिक्षा ही नहीं यज्ञादि धार्मिक कार्यों को भी करने का अधिकार था। वैदिक वाङ्मय में इसके प्रमाण उपलब्ध है।१७

वैदिक वाङ्मय में वही पत्नी पोषण करने योग्य है जो गृह कार्य में दक्ष व निपुण हो, प्रियवचन बोलने वाली हो, पति को अपने प्राण समान समझती हो तथा पतिव्रता हो (कहा जा सकता है कि इन गुण–कर्त्तव्यों से रहित पत्नी 'भार्या' कही जाने योग्य नहीं है।) शुक्रनीति में भी पति के प्रति प्रेम रखने वाली, गृहकार्य कुशल; पुत्र उत्पन्न करने वाली, शीलवती अथवा युवती स्त्री को ही पति के प्रेम की अधिकारिणी माना गया है। वेदकालीन समाज में नारी अपने पति के प्रति अपने योग्य पत्नी के कर्त्तव्यों को पूर्णरुपेण निभातीं थीं। उसे पत्नी रूप में सम्मानीय पदवीं प्राप्त थीं। उसका विशेष सम्मानीय स्थान था। नारी पत्नी रूप में अपने पति की निस्वार्थ भावना से सेवा–शुश्रुषा करती थीं। इसके अतिरिक्त उसके कर्त्तव्यों में पति के सभी कार्यो में उसके साथ रहना, लोक व्यवहार में कुशल व दक्ष होना, पति के प्रति समर्पित रहना, पति को अपना सर्वस्व मानना तथा पति द्वारा पोषित पालित होना आदि कार्य शामिल थे।

वैदिक वाङ्मय में दाम्पत्य जीवन में स्त्रियाँ महत्त्वपूर्ण स्थान पर थी वह घर की मालकिन (स्वामिनी) थी, और आज भी है। उसके बिना घर के बारे में सोचना भी असम्भव है। नारी से ही सम्पूर्ण संसार है। वैदिक युग से लेकर अद्यावधि नारी समग्ररूपेण अधिकार सम्पन्ना है। भारतवर्ष में ही नहीं वैश्विक परिवेश में भी नारी शक्ति सर्वविदित है।

संदर्भ ग्रन्थ

१. ऋग्वेद, १०.८५.४६

२. अथर्ववेद, १४.१४४

३. एतावानेव पुरुषो यज्जायाऽऽत्मा प्रजेति ह ।
विप्राः प्राहुस्तथा चौतद्यो भर्ता सा स्मृतांगना।। –शतपथ ब्राह्मण, ५.२.१.१०

४. सदा प्रहृष्टया भाव्यं गृहकार्येषु दक्षया।
सुसंस्कृतोपस्करया व्यये चामुक्तहस्तया ।।
—मनुस्मृति ५.१५०

सा भार्या गृहे दक्षा सा भार्या या प्रियवंदा ।
स भार्या या पति–प्राणा सा भार्या या पतिव्रता ।।— गरुड़पुराण १०८.१८

५. भर्तव्यत्वेन भार्या च ।—महाभारत, शान्तिपर्व, २६६.५२

६. वामन शिव राम आप्टे , संस्कृत–हिन्दी शब्दकोश , पृ०सं० ७६१

७. माता भूमिः पुत्रोऽहं पृथिव्याः ।—अथर्ववेद ३.३०.२

८. त्वं हि नः पितावरी, त्वं माता शतक्रतो बभूविथ ।। —ऋग्वेद ८.६८.११

९. नरपतिकुलभूत्यै गर्भमाधत्त राज्ञी गुरुभिरभिनिविष्टं लोकपालानुभावैः ।।
—रघुवंश २.७५ का उत्तरार्ध

१०. मासो ऽष्टमात्पूर्वमिदं त्वयोच्चौर्हासादिकं कर्म न देवि कार्यम् ।
— यशस्तिलकचम्पू, पृ०सं० २२६

११. कुक्षिसंधारणाद् धात्री जननाज्जननी स्मृता ।
अङ्गना वर्धनादम्बा वीरसूत्वेन वीरसूः ।।
शिशोः शुश्रूषणाच्छुश्रूर्माता देहमनन्तरम् । — महाभारत, शान्तिपर्व २६६.३२–३३

१२. उपाध्यायाद्दशाचार्य आचार्याणां शतं पिता ।
पितुर्दशशतं माता गौरवेणातिरिच्यते ।। — वसिष्ठ धर्मसूत्र, १३.४८
उपाध्यायान्दशाचार्य आचार्याणां शतं पिता ।
सहस्त्रं तु पितृत्माता गौरवेणातिरिच्यते ।। — मनुस्मृति, २.१४५
एक देशमुपाध्याय ऋत्विग्यज्ञकृदुच्यते ।
एते मान्या यथापूर्वमेभ्यो माता गरीयसी ।। — याज्ञवल्क्यस्मृति, १.३५
माता परमो गुरुः नास्ति मातृसमो गुरुः । — महाभारत, शान्तिपर्व, १०६.१६

१३. स्त्री हि ब्रह्मा बभूविथ । — ऋग्वेद ८.३३.१६

१४. अंह केतुरहं मूर्धाऽहमुग्रा विवाचनी । — ऋग्वेद १०.१५२.२

१५. गृहाश्रमः सुखार्थाय पत्नीरत्नं हि तत्सुखम् ।।—पद्मपुराण, उत्तराखण्ड

१६ . गृहं गृहमित्याहु गृहिणी गृहमुच्यते । — महाभारत, शान्तिपर्व १४४.१५

१७. यज्ञ दधे सरस्वती । — ऋग्वेद १.३.११
संहोत्रं स्म पुरा नारी समनं वाव गच्छति। —अथर्ववेद २०.१२६.१०

असिस्टेंट प्रोफेसर संस्कृत विभाग
स्व० चन्द्र सिंह शाही राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय
कपकोट, बागेश्वर

शिक्षा और समाज

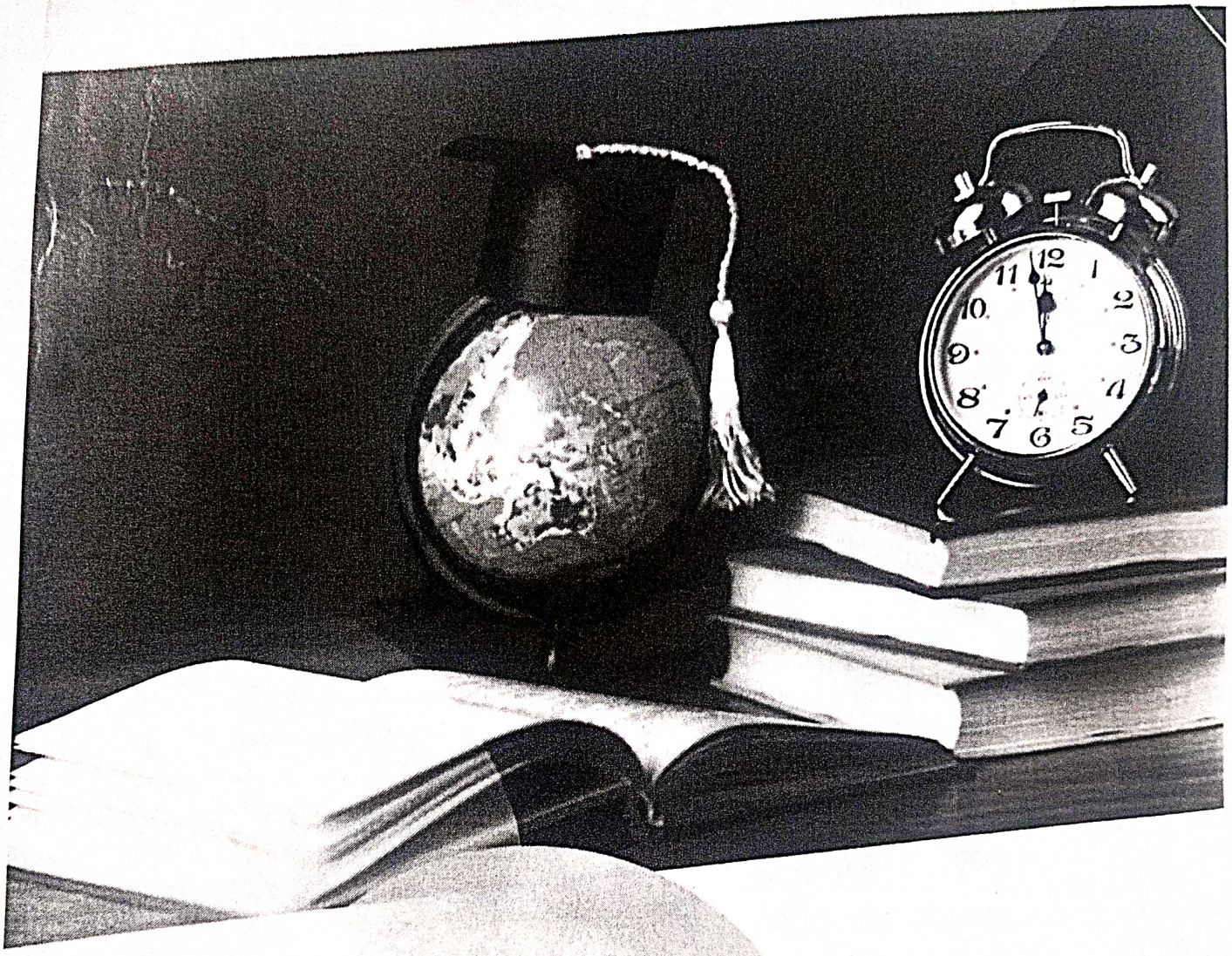

डॉ. अरुण कुमार चतुर्वेदी
बिनीता
डॉ. उमा देवी

इस पुस्तक के किसी भी अंश को लेखक की अनुमति के बिना पुनर्प्रकाशित या अनूदित करना अथवा किसी दृश्य, श्रव्य एवं प्रचार माध्यम में उपयोग करना वर्जित है।

ISBN : 978-93-5552-392-1

पुस्तक : शिक्षा और समाज

© : लेखक

संपादक : डॉ. अरुण कुमार चतुर्वेदी, बिनीता, डॉ. उमा देवी

प्रकाशक : **निखिल पब्लिशर्स एण्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स**

37, ''शिवराम कृपा'' विष्णु कालोनी, शाहगंज, आगरा-10 (उ.प्र.)

मो० : 9458009531-38

E-mail : nikhilbooks.786@gmail.com

website : www.nikhilbooks.com

संस्करण : प्रथम 2023

मूल्य : ₹ 550/- ($20)

शब्द सज्जा : शिखा ग्राफिक्स

मुद्रक : श्री पूजा प्रिंटर्स

अनुक्रमणिका

1. भारतीय शिक्षा के परिप्रेक्ष्य में शैक्षिक नवाचार एवं नूतन आयाम–एक अध्ययन — 19
डॉ0 देवेन्द्र सिंह चम्याल प्रो. (डॉ0) भीमा मनराल

2. सामाजिक विकास में शिक्षा और संस्कृति की भूमिका — 33
डॉ. सुभाष चन्द्र मीणा

3. संस्कृति, शिक्षा और समाज विकास में महिलाओं की भूमिका — 40
अजरा सुल्ताना

4. समाज के विकास में महिलाओं की भूमिका — 46
दीपिका नेगी

5. बालकों के सामाजिक विकास में शिक्षा की भूमिका — 57
सुलोचना कुमारी

6. नई शिक्षा नीति 2020 और भारतीय शिक्षा दर्शन — 65
डॉ0 किरन गर्ग

7. राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 में प्राथमिक शिक्षा का स्वरूप : वैश्विक संदर्भ में — 70
प्रवेश कुमार जायसवाल

8. सामाजिक विकास में शिक्षा और संस्कृति की भूमिका — 77
सुमन पिलख्वाल

9. वर्तमान शैक्षिक परिदृश्य में डॉक्यूमेंट्री शिक्षण : एक नवाचार — 84
डॉ. अमिता जैन, पूजा शर्मा

10. रामायण कालीन संस्कृति एवं शिक्षा का स्वरुप एक अध्ययन — 91
शोभा आर्या

11. कुमाऊँनी लोकगीत : समाज जीवन की प्रवाहात्मक अभिव्यक्ति — 98
देवराम, गौरव कुमार

12. सामाजिक जीवन में मूल्यों का महत्व — 105
डॉ. उमेश चन्द्र पाण्डेय

13. वैदिक समाज में नारी की भूमिका — 111
डॉ0 बलजीत

14. शिक्षा में नवाचार के साथ–साथ भाषा शिक्षण में नवाचार की आवश्यकता और महत्व — 117
नागोड वितान, ब्रेसिल

15. वैश्विक सामाजिक संरचना में शिक्षा एवं साहित्य की भूमिका — 128
सोनिया रानी

4.

समाज के विकास में महिलाओं की भूमिका

दीपिका नेगी

शोध सार–

महिलाओं को समाज में सार्थक भूमिकाएं निभानी होती हैं। सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक तथा धार्मिक क्षेत्रों में, महिलाओं की भूमिका किसी से छिपी हुई नहीं है। इन क्षेत्रों में, वे प्रभावपूर्ण ढंग से प्रतिभाग करने में सक्षम है, क्योंकि उनमें पर्याप्त कौशल तथा योग्यताएं है। महिलाओं को कौशल तथा योग्यताओं के साथ–साथ योगदानकारी कारकों के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने की आवश्यकता है। इन कारकों का ज्ञान उन्हे भूमिकाओं के निर्वाह के दौरान आने वाली बाधाओं से निपटने में समर्थ बनाता है। यदि महिलाओं को विभिन्न प्रकार की भूमिकाओं का निर्वाह करना है, तो उन्हें यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि उनके परिवार तथा समाज का कल्याण प्रभावी रूप से हो। दूसरे शब्दों में, यह सुनिश्चित होना चाहिए कि उनकी प्रतिभागिता लोगों के लिए हितकारी है। यहाँ वार्ता का मुख्य पक्ष समाज में महिलाओं की भूमिकाओं ,महिलाओं की प्रतिभागिता को प्रभावित करने वाले कारकों, सामाजिक भूमिकाओं की शैलियों तथा कार्य वातावरणों में महिलाओं की भूमिकाओ की महत्ता को सम्मिलित करता है।

कुंजी–भाब्द : समाज, महिला, आर्थिक क्षेत्र, माता

परिचयः

"महिलाएं" एक शक्तिशाली शब्द है। यह आकर्षक है, क्योंकि यह प्रेम, देखभाल, पोषण, दायित्वों, उत्तरदायित्वों, सामर्थ्य, अनंनता ,मातृत्व तथा ऐसी ही कई अन्य बातों को प्रतिबिम्बित करता है। एक महिला प्रत्येक समाज में उस समाज का दर्पण होती है। यदि उसे सीमाओं में बांध दिया जाता है, तो वह उत्पीड़ित हो जाती है; यदि उसे ऊंचा उठाया जाता है, तो समाज ऊपर उठता है; यदि उसे सशक्त बनाया जाता है, तो समाज सशक्त बनता है। एक महिला एक नींव की भांति है, जिसके बिना वहां कुछ भी संभव नहीं है। वह संस्कृति तथा परंपराओं को बनाये रखती है तथा उन्हें आगे आने वाली पीढ़ियों को हस्तांतरित करती है। वह अपने पति तथा परिवार की देखभाल करती है। दूसरे शब्दों में, वह समाज में प्रत्येक वस्तु का सृजन करती है। एक महिला अपने बच्चों की प्रथम शिक्षिका होती है;

अपने बच्चों का प्रेमपूर्वक इलाज करने वाली प्रथम चिकित्सक होती है;अपने बच्चों के साथ खेलने वाली प्रथम साथी होती है। अपने बालक के विकास में उसका अतुलनीय योगदान होता है। एक महिला को उसके अनिश्चित स्थान तथा अपने बच्चों, परिवार, समुदाय तथा समाज के प्रति सतत् उत्तरदायित्वों के लिए पर्याप्त रुप से धन्यवाद ज्ञापित नहीं किया जा सकता हैं।

आज, जब हम महिला सशक्तिकरण की बात करते है, तो अधिकतर लोग कामकाजी महिलाओं को स्वतंत्र मानते है। परन्तु सशक्त महिलाएं वे है, जो पत्नी, बहू तथा माता की भूमिका निभाने के लिए घर पर ही रुकने का या तो स्वयं निर्णय लेती है या जिन्हें घर पर रुकना पड़ता है। वे वृद्धि का प्रारंभ होती है। उनके बिना एक पुरुष काम पर नहीं जा पाता है। यह एक माता के सहयोग द्वारा ही संभव है, जो घर पर रहती है ताकि समाज कार्य कर सके, देश विकास कर सके। उसके विभिन्न अवैतनिक तथा अज्ञात कार्य ही प्रत्येक समाज के विकास का कारण है।

व्यक्ति संस्कृति के अंग तथा समूह हैं। जब व्यक्ति बाहर निकलते है, तो उन्हें अपने घर के बाहर की दुनिया को जानना होता है। परिवार वह आधारशिला है, जहां से व्यक्ति अपने परिवारों के सदस्यों को प्राथमिकता देते हुए वृद्धि और विकास करते है। परंतु पारिवारिक सदस्यों के अलावा ,व्यक्तियों को समाज में रहते हुए एक महत्वपूर्ण भूमिका भी निभानी होती है। सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक तथा धार्मिक क्षेत्रों में , महिलाओं की भूमिका किसी से छिपी हुई नहीं है। महिलाओं को मुख्यतया इसलिएं याद किया जाता है कि उनके कल्याण द्वारा समाज के कल्याण का मार्ग प्रशस्त होता है। वे गुजर–बसर हेतु आय के स्त्रोतों को उत्पन्न कर रही है। जब वे शिक्षण व्यवसाय मे नियुक्त होती है तो वे समाज के संरक्षण ज्ञान के प्रसार तथा लोगों के मध्य जागृति फैलाने का कार्य भी करती है।

महिलाओं के समाज में योगदान को मान्यता प्राप्त आधारों पर उपलब्ध भी कराया जाता हैं। सभी आयुवर्गों तथा पृष्ठभूमियों की महिलाएं व्यक्तियों के कल्याण हेतु महत्वपूर्ण कार्यों में प्रतिभाग करती है। समाज के सामाजिक–आर्थिक रुप से पिछड़े भागों तथा हाशिए पर आ चुके बच्चों को प्रशिक्षण प्रदान करना या गरीब व्यक्तियों को भोजन, कपड़े तथा दैनिक आवश्यकता की वस्तुओ का दान करना आदि कुछ महत्वपूर्ण कार्य है। भारत में कई महिलाएं गरीबी में जीती है, उपयुक्त चिकित्सा सुविधाओं तक उनकी पहुंच नहीं होती है, वे हिंसा और उत्पीड़न का शिकार होती है, भेदभाव को सहन करती है, अनदेखा की जाती है तथा पुरुषों की भांति अधिकारों तथा अवसरों का आनंद नहीं उठा पाती है। ये सभी चर लगभग

सभी महिला समाज कार्यकर्ताओं, जो परिवारों के कल्याण को बढ़ावा देने हेतु कार्य कर रही है, द्वारा महसूस किये जाते है।

महिलाओं की प्रतिभागिता को प्रभावित करने वाले कारक–

निम्नलिखित कारकों द्वारा विभिन्न कार्यों तथा गतिविधियों में भाग लेने वाली महिलाओं को प्रभावित करते है–

सामाजिक–सांस्कृतिक कारक–

स्त्रियों तथा बालिकाओं को घरेलू भूमिकाओं में सार्थक रुप से प्रतिभाग करना होता है, मुख्य रुप से ग्रामीण समुदायों में। वे प्राय: सार्वजनिक जीवन तथा अन्य मौकों पर शामिल होने से वंचित रह जाती है, जब उन्हें घरेलू कर्तव्यों में लगना पड़ता है। कुछ निश्चित मामलों में वे मानसिक तथा शारीरिक रुप से कमतर होती है और यदि वे स्कूल जाने तथा जीवन की परिस्थितियों को सुधारने की इच्छा रखती है, तो उन्हें बढ़ावा नहीं दिया जाता है। स्त्रियां तथा बालिकाएं , पुरुष तथा स्त्रर के विरुद्ध होने वाले अन्याय के प्रति भी अधिक संवेदनशील होती है। यदि वे ऐसी घटनाओं से रुबरु होती है, तो समाज के कल्याण में संलग्न रहने की उनकी सामर्थ्य प्राय: कम हो जाती है। कुछ सामाजिक–सांस्कृतिक कारक स्त्रियों तथा बालिकाओं को सामाजिक गतिविधियों में भाग लेने से रोकती है, जिनमें स्वास्थ्य तथा चिकित्सा सुविधाओं तक सीमित पहुंच, शिक्षा तथा जागरुकता की कमी , निम्न जीवन प्रत्याशा तथा घर के भीतर बंद रहना आदि सम्मिलित है।

ग्रामीण तथा शहरी दोनों क्षेत्रों की महिलाओं में उभयनिष्ठ मूल्य तथा नजरिया होता है। उदाहरण के लिए, परिवार में जहां पुरुषों के पास उनके परिवार की आवश्यकता तथा मांगों को सही तरीके से पूरा करने के लिए अपनी कंपनियां होतीा है, तो वहीं स्त्रियों तथा बालिकाओं को विभिन्न कामों में भाग लेने से दूर रखा जाता है। वहीं दूसरी ओर, उनकी इन विचारों तथा नजरिये के कारण किसी सम्मानजनक कार्य तक पहुंच नहीं होती है। महिला अधिकारों के सहयोग तथा संरक्षण हेतु लगातार बढ़ते कानूनी निकाय के बावजूद, समाज में सयाने पुरुषों तथा स्त्रियों द्वारा अमल में लाये गये सामाजिक मानकों को ही लगातार सम्मान मिलता है।

आधारभूत कारक–

जब महिलाएं विभिन्न कार्यों तथा गतिविधियों, मुख्य रुप से समुदाय में भाग लेती है, आधारभूत कारकों को अनिवार्य माना जाता है । संरचना तथा व्यवस्था जिसके द्वारा किसी कार्य का आधार स्थापित किया जाता है, आधारभूत संरचना कहलाती है। आधारभूत संरचना के अंतर्गत आने वाले

विभिन्न क्षेत्रों में ब्रॉडकास्टिंग, रेडियो, यातायात, राजमार्ग, सार्वजनिक उपयोगिता, संचार, जल स्त्रोत, विद्युत आपूर्ति, अभियांत्रिकी, तकनीकी, औजार तथा उपकरण आदि आते है। शोध बताते है कि कई सारी महिला सामाजिक कार्यकर्ता सामान्य रुप से सुधार अथवा कमी के योग्य क्षेत्रों पर शोध कर रही है। उदाहरण के लिए, कई सारे लोग ग्रामीण तथा शहरी दोनों क्षेत्रों में गरीबी में जीवनयापन कर रहे है। अतः सामाजिक कार्यकर्ताओं को गरीबी के कारणों का विश्लेषण करना चाहिए, यह कैसे लोगों को प्रभावित करती है, तथा इन परिस्थितयों को कम करने के लिए क्या कदम उठाये जाने चाहिए, यदि उन्हें गरीबी एवं पिछड़ेपन को कम करना तथा लोगों के जीवन की स्थितियों को सुधारना है।

समाज के कमजोर तथा पिछड़े क्षेत्रों के शोध लक्ष्यों को पाने के लिए लोगों को अन्य प्रांतों तथा स्थानों का भ्रमण करना होता है। आधारभूत वस्तुएं इस उद्देश्य हेतु अत्यंत महत्व की है। यदि यातायत, सड़कें, विद्युत, जल आपूर्ति तथा अन्य कारक संतोषजनक हो तो , सामाजिक कार्यो में संलग्नं महिलाएं तथा अन्य लोग अपने इच्छित लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते है। तकनीकी, औजार तथा उपकरण के द्वारा अपने कार्यों को सुविधाजनक बनाने हेतु लोगों को उन्हें प्रयोग करने की आवश्यकता है ।

आर्थिक कारक–

वित्तीय संसाधन अत्यधिक महत्वपूर्ण दिखाई देते है, विशेषकर जब महिलाएं सम्मानजनक आधार पर किसी कार्य अथवा गतिविधि में संलिप्त होती है। उदाहरण के लिए, यदि आप गरीब व्यक्तियों, जो कि कुपोषण का शिकार है, को भोजन कराना चाहते है, तो आपको पर्याप्त वित्तीय संसाधनों की आवश्यकता होगी। वहीं दूसरी ओर, जब महिलाएं की आय सीमित होती है, तो वे वित्तीय योगदान नहीं कर पाती है या लोगों की समझ तथा सामर्थ्य को बढ़ाने हेतु अपने हुनर तथा योग्यताओं का प्रयोग नहीं कर पाती है। परंतु यदि वे वित्तीय रुप से मजबूत होती है, तो समुदाय के सदस्यों की भलाई तथा कल्याण को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

शोध बताते है कि संसार में कई सारे बच्चे अनाथ है, बिना किसी सहायता के गरीबी में जी रहे है। महिलाओं द्वारा संगठन चलाये जा रहे है, जो सामाजिक संरक्षण हेतु तन–मन–धन से समर्पित है। बच्चों को केवल आवासीय सुविधा ही नहीं मिल रही है, बल्कि उन्हे शिक्षित किया जा रहा है, वे अपने कौशलों को विकसित कर रहे है, वे स्वास्थ्य सुविधाओं तथा पौष्टिक भोजन से युक्त है; वे काश्तकारी के उत्पादन कार्य में संलिप्त है, कला, गीत, संगीत, नृत्य, अभिनय तथा ऐसी ही अन्य कई गैर–शैक्षणिक

गतिविधियों में प्रशिक्षित हो रहे है। इस प्रकार धन का होना इस कार्य को पूर्ण करने के लिए अपरिहार्य है। महिलाएं वित्तीय संसाधनों से संपन्न होन पर सामाजिक कल्याण में सहयोग हेतु अपना जरुरी योगदान दे सकती है।

महिलाओं की भूमिका–

महिलाएं राष्ट्र–निर्माता होती है। दुनिया की आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करने वाली महिलाएं, भारतीय संस्कृति को महान महत्ता प्रदान करती है । संयुक्त राष्ट्र संघ महासचिव के अनुसार, महिलाओं की मानव संसाधन में 50 प्रतिशत की भागीदारी है तथा वे पुरुषों के पश्चात् महान क्षमता वाली श्रेष्ठतम मानव संसाधन है।

शोध बताते है कि युवा महिलाएं , जो भारत में अकेले रहने में सक्षम है या अपने परिवारों के साथ रह रही है, न केवल अपने देश के ,बल्कि विश्व के अन्य देशों में भी, गरीबी में रहने वाले, वंचित, नुकसान झेलने वाले तथा सामाजिक–आर्थिक रुप से पिछड़े बच्चों को प्रशिक्षण देकर सामाजिक कार्यों में प्रतिभाग कर सकती है। इस कारण से, उन्हें योग्यता विकसित करने, आवश्यक कौशलों को धारण करने तथा पढ़ाये जाने वाले विषयों का ज्ञान रखने की आवश्यकता है। शिक्षण एक कठिन कार्य है तथा शिक्षकों को सचेत तथा संसाधनयुक्त होने की आवश्यकता है। आवश्यक शिक्षण कौशलों से युक्त प्रोफेसरों से सीखने वाले छात्रों के कौशल पूर्ण रुप से संतुष्ट होते है। इसका अर्थ है कि यदि महिलाएं अनुदेशन प्रदान कर सकती है, तो वे अच्छे शैक्षणिक परिणामों में भी सहयोग कर सकती है।

नेपोलियन के अनुसार– *" तुम मुझे अच्छी माताएं दो और मैं तुम्हें एक अच्छा राष्ट्र प्रदान करुंगा।"* महिलाएं किसी भी परिवार की गुणवत्ता तथा सतत् वृद्धि की आधारशिला होती है, जो एक स्वस्थ समाज का निर्माण करती है। वे एक मुखिया, एक निर्देशक, एक पारिवारिक आय प्रबंधक तथा अंत में एक माता के रुप में विभिन्न भूमिकाओं का निर्वाह करती है।

एक पत्नी के रुप में –

एक महिला किसी पुरुष की एक सहायक, पत्नी तथा साथी होती है। वह अपने व्यक्तिगत आनंद तथा इच्छाओं का बलिदान देती है, एक नैतिक मानक स्थापित करती है, अपने पति के तनाव एवं अवसाद को कम करती है, घर में शांति एवं व्यवस्था बनाये रखती है। यह सब उसके पुरुष साथी को परिवार की आर्थिक वृद्धि के बारे में और अधिक सोचने के लिए आवश्यक वातावरण प्रदान करता है। वह लोगों को महान निर्णय लेने तथा अपने जीवन में अच्छी चीजें करने के लिए प्रेरित करती है। किसी भी विपत्ति में वह अपने पति के साथ खड़ी रहती है, उसके साथ सारी

उपलब्धियों तथा खुशियों को बांटती है। पुरुष प्रेम, करुणा, समझ, ऊर्जा तथा पहचान हेतु उसी की ओर देखता है। वह अपने पति की शुद्धता, विश्वास, आज्ञाकारिता तथा समर्पण का प्रतीक होती है।

एक गृह प्रबंधक तथा मुखिया के रुप में –

परिवार की प्रत्येक दिन समृद्धि हेतु, परिवार का सुव्यवस्थित तथा अनुशासित होना महत्वपूर्ण है। यही परिवार में महिला की भूमिका है। वह किसी भी पारिवारिक उपक्रम की कार्यकारी निदेशक होती है। वह परिवार को उनकी रुचियों तथा कौशलों के अनुसार दायित्व प्रदान करती है तथा किसी कार्य को पूरा करने में उपकरणों व सामग्री के पदों में सहयोग प्रदान करती है। वह खाना पकाने तथा परोसने, कपड़ों के संग्रह तथा रख–रखाव, धुलाई, सफाई तथा गृह व्यवस्था आदि में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वह परिवार में एक प्रशासक के रुप में सामाजिक उत्थान हेतु कई सामाजिक गतिविधियों का आयोजन करती है। वह एक मनोरंजन निर्देशक भी है। वह छोटे तथा बड़े सदस्यों की इच्छापूर्ति हेतु कई सारी मजेदार कार्यक्रमों को कराती है।

एक माता के रुप में–

एक महिला परिवार में बच्चों के जन्म की पूर्ण जिम्मेदारी तथा उन्हें बड़ा करने की अधिकांश जिम्मेदारियां निभाती है। उनके विकासकाल के दौरान, बच्चे के साथ उसकी अंतःक्रिया उसके व्यवहार पैटर्न को विकसित करती है। उस पर घर में उच्चतम अनुशासन बनाये रखने का भार भी होता है। वह बालक की प्रथम शिक्षिका होती है। वह बालक की सामाजिक विरासत को संचरित करती है। नवजात शिशु अपनी माता से प्रजाति के नियम, मनुष्यों के तौर–तरीके, नैतिक आचरण तथा मूल्यों को सीखता है। नवजात बालक से अपने घनिष्ठ तथा दीर्घकालीन अंतःक्रिया के कारण ही , वह उस छोटे बालक की अद्वितीय विशेषताओं एवं व्यवहारों की खोज एवं संवर्द्धन कर पाती है, जो बाद में उसके व्यक्तित्व के निर्माण हेतु महत्वपूर्ण होते है।

वह अपने परिवार की स्वास्थ्य अधिकारी होती है। किसी भी पारिवारिक सदस्य, कमजोर बालक, अस्वस्थ बालक, युवा, बुजुर्ग अभिभावकों आदि की शारीरिक स्वस्थता उसकी मुख्य चिंता होती है। वह प्रत्येक वस्तु इस भांति संगठित करती है कि प्रत्येक सदस्य को पर्याप्त भोजन, पर्याप्त नींद तथा पर्याप्त विश्राम प्राप्त हो सके। वह आंतरिक सज्जा में रुचि उत्पन्न करती है, घर को आराम और आनंद हेतु एक सुखद स्थान बनाती है। अपनी क्षमताओं के द्वारा , वह घर को स्वर्ग बना देती है।

परिवारिक राजस्व प्रबंधक–

महिलाएं विनम्र पारिवारिक आय स्वामिनी की भांति व्यवहार करती है ; खर्च की गई एक–एक पाई से अधिकतम वसूली सुनिश्चित करना उस पर ही निर्भर करता है। एक न्यून बजट की अपेक्षा, वह एक अधिकता वाल बजट की योजना बनाती है। जब वह पैसा खर्च करती है, तो वह फायद और नुकसान की गणना करती है। वह आवश्यक वस्तुओं, सुख सुविधा की वस्तुओं आदि विभिन्न मदों में विवेकपूर्ण ढंग से आय का वितरण करती है। परिवार में महिलाएं प्रायः अपनी आय के द्वारा घर के भीतर या बाहर पारिवारिक आय में योगदान देती है। वह पारिवारिक राजस्व में सकारात्मक रुप से योगदान करती है। वह घर में स्वयं प्रदर्शन करती है तथा बेकार सामान से उत्पादों का निर्माण करती है।

महिलाएं परिवार में एक पत्नी, एक साथी, एक संगठक, एक निर्देशक, एक पुनर्सृजक एक वितरक, एक प्रबंधक तथा एक अनुशासक के रुप में कार्य करती है। साथ ही, महिलाएं समाज के सामाजिक–आर्थिक विकास में भी मुख्य भूमिका निभाती है। आधुनिक शिक्षा तथा समकालीन आर्थिक जीवन, महिलाओं को संकीर्णता के दायरे से लगातार बाहर निकालते है तथा समाज की समृद्धि हेतु मिलकर कार्य करते है। वह किसी भी महिला संगठन का एक भाग हो सकती है तथा प्रौढ़ शिक्षा, बालिका शिक्षा आदि विभिन्न कार्यक्रमों को शुरु कर सकती है।

एक महिला समुदाय को बेहतर बनाने हेतु लक्षित होती है, क्योंकि शिक्षा महिलाओं को अवसरों के प्रति प्रतिक्रिया करने, अपनी परंपरागत भूमिका पर प्रश्नचिह्न उठाने तथा जीवन की परिस्थितियों को बदलने योग्य बनाती है। शिक्षा मानव संसाधनों के उत्पादन हेतु सर्वाधिक प्रभावी उपकरण है।

सतत् विकास तथा जीवन की गुणवत्ता, महिलाओं के प्रति उत्तर है। उन्हें हस्तकारी, कुटीर उद्योगों, खाद्य संरक्षण तथा पोषण–संबंधी व्यवसायों में संलग्न निम्न सामाजिक–आर्थिक स्तर वाले व्यक्तियों के विषय में जानकारी फैलाने हेतु समूहों अथवा क्लबों का सदस्य होना चाहिए। महिलाओं के लिए क्रूरता, घरेलू तथा श्रमिक दासता, अंधविश्वास, दहेज प्रथा तथा अन्य सामाजिक अत्याचारों के विरुद्ध कदम उठाने हेतु समाज के मुखिया के रुप में कार्य करना चाहिए।

समाज से बाल–अपराध जैसी समस्याओं को दूर करने हेतु किशोर बालकों और बालिकाओं को धार्मिक व्याख्यान प्रदान करके महिलाएं एक धार्मिक संस्थान की भांति कार्य करती है। वे किशोरों को विवाहपूर्व तथा विवाह के पश्चात् यौन संचरित रोगों के संदर्भ में परामर्श प्रदान करने में भी

महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उनका लक्ष्य मानवाधिकारों, महिला अधिकारों, बाल अधिकारों, बैंक क्रेडिट, निम्न सामाजिक–आर्थिक स्तर वाले व्यक्तियों के विभिन्न प्रतिरक्षा कार्यक्रमों के बारे में जागरुकता फैलाना है।

साथ ही, महिलाएं समाज के विकास को सांतत्य तथा राष्ट्र के भविष्य को आकार प्रदान करती है। वर्तमान गतिशील सामाजिक परिदृश्य में महिलाएं विभिन्न क्षेत्रों में चुनौतीपूर्ण भूमिका निभा रही है। उन्हें अधिक समय तक शांति के अग्रदूत नहीं देखा जा सकता है, बल्कि वे शक्ति का स्त्रोत तथा परिवर्तन का प्रतीक है।

समाज में महिलाओं की भूमिका की सार्थकता–

समाज में महिलाओं की भूमिका की सार्थकता पर मुख्यतया उनके कार्यस्थलों तथा सामाजिक कार्य तथा इसी प्रकार के अन्य क्षेत्रों में ध्यान दिया जाता है। पारिवारिक ढांचे के सुपरिचित प्रवृत्तियां होती है तथा इनमें पिछले कुछ दशकों में परिवर्तन आया है। एकल परिवार देखने में आ रहे है, जिनमें महिलाएं मुख्यतया बच्चों के पालन–पोषण में ही लगी रहती है। घरों में महिलाओं का मुख्य कार्य सांस्कृतिक मूल्यों, सिद्धांतों तथा विश्वासों का उनकी संतानों में संचरण तथा अनुप्रयोग करवाना है।

महिलाओं का समाज में स्थान मानव वृद्धि तथा सामाजिक न्याय पर केन्द्रित है तथा राजनीतिक सुधार को प्रभावित करता है। भारत में, महिला नीति सक्रियतावाद धार्मिक तथा राजनीतिक समुदायों एवं संगठनों द्वारा दी गयी संदर्भ–वैशेषिक चुनौतियों को सम्मिलित करता है। महिला सामाजिक कार्यकर्ताएं निजी तथा सार्वजनिक संरचनाओं में विभिन्न लैंगिक भूमिकाओं से अभिभूत रहती है, जब वे भारत में पुरुष तथा स्त्री में समानता को बढ़ावा देती है। आत्म–सम्मान कमाने हेतु, प्रत्येक स्त्री को दूसरों पर निर्भर रहने के बजाय मार्शल आर्ट्स- सीखना चाहिए। अतः महिलाओं की भागीदारी पर राजनीतिक सक्रियतावाद लिंग के सामाजिक संरचना का बदलाव तथा राज्य की राजनीति को नियंत्रित करने वाली संगठनों तथा ढांचों की किस्मों का सामना करने को सम्मिलित करता है। इसलिए, यह कहा जा सकता है कि महिलाओं को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि जब वे समाज के प्रति किसी पद पर आसीन होती है, तो वे नियमों के अनुसार कार्य करे तथा एक संरचित तरीके से व्यक्तियों तथा समाज दोनों के कल्याण को बढ़ावा दे।

उपसंहार–

इतिहास के दौरान, पुरुषों द्वारा महिलाओं को कम ज्ञानवान आंका गया है। इस भयावह दोषपूर्ण अर्थापन का परिणाम आत्म–सम्मान में सार्थक

कमी के रुप में सामने आया है। यद्यपि, महिलाएं अब नेतृत्व, आर्थिक, गृह व्यवस्था, सांस्कृतिक तथा राष्ट्र–निर्माण में सार्थक भूमिकाएं निभा रही है। पुराने दिनों की शर्मीली महिला की जगह अब जीवंत, फैशन के प्रति जागरुक तथा बुद्धिमान युवा महिला ने ले ली है। महिलाएं इंजीनियरिंग, ज्योतिष, अंतरिक्ष खोज, चिकित्सा तथा उद्योगों के क्षेत्र में स्थान सुनिश्चित करने में पुरुषों को पीछे छोड़ रही है।

कुछ दशकों पूर्व, महिलाओं की स्थिति दयनीय थी। उसका स्थान एकाकी था तथा उसे निम्न सामाजिक स्तर प्रदान किया जाता था। उसके जीवन के शेष वर्षों में उसे बोझरुपी पशु जैसे जीने हेतु अनिवार्य अपराधी बना दिया जाता था। काफी लम्बी समयावधि तक, वह स्वयं को घरेलू कठिन परिश्रम से मुक्त करने में भी असमर्थ थी। वह गृह प्रबंधन हेतु बाध्य थी तथा उसे सफाई, साज–सज्जा, भोजन पकाना, बुनाई, झाड़ू–पोछा तथा धुलाई जैसे जरुरी काम करने होते थे। इसके अलावा वह, बच्चो के पालन–पोषण तथा बुजुर्गों की सेवा हेतु भी उत्तरदायी थी। उन्होने एक दास की गरिमा को कम किया था। उन्हें पुरुषों की उपस्थिति में विनम्र तथा आज्ञाकारी होना होता था। उन्हें समस्त प्रकार के उच्च शिक्षण तक पहुंचने की मनाही थी तथा घर की निश्चित चारदीवारी के भीतर रहना होता था। उनके साथ प्रायः क्रूरतापूर्वक व्यवहार किया जाता था तथा उन्हें बचकानी, अंतरंगी तथा ऊबाऊ प्राणी के रुप में देखा जाता था।

यद्यपि, महिलाएं अब घर की सामाओं से मुक्त हो चुकी है तथा उच्च शिक्षण संस्थानों तक अपना रास्ता बना चुकी है। तथा शिक्षा, अनिवार्य रुप से , उन्हें जाग्रत कर चुकी है, साथ ही साथ उनके दृष्टिकोण एवं क्षितिज को व्यापक कर चुकी है। उन्होंने सामान्यतया महिलाओं के स्वास्थ्य एवं उत्थान हेतु अपने संगठनों का निर्माण भी कर लिया है। उन्होंने पुरुषों के साथ समान व्यवहार पर बल देना प्रारंभ कर दिया है तथा कई सारे मौकों पर सफल भी हुई है। वे वास्तविक संसार से जुड़ चुकी है तथा अपने परिवारों तथा देश में सार्थक रुप से योगदान दे रही है। हाल ही में, यह देखा गया है कि कई सारी महिलाओं द्वारा पुरुष –अधिकृत प्रबंधन क्षेत्रों से जुड़ा जा रहा है। वे देश की राजनीति में सक्रिय रुप से शामिल है तथा तकनीकी क्षेत्र में पुरुषों के विरुद्ध प्रतिस्पर्धा में बने रहने हेतु प्रयासरत है।

महिलाएं आजकल उतनी अनाड़ी और शर्मीली नहीं रह गई है, जितनी पुराने दिनों में हुआ करती थी। अब उन्हें साहसी माना जाता है तथा उन्हें प्रदत्त कार्य को पूरा करने के लिए उनकी क्षमताओं पर विश्वास किया जाता है। उन्हें अपने मामलों में निर्णय लेने की पूर्ण स्वायत्तता है।

पुरुषों के पास अब महिलाओं पर अपनी इच्छाओं को थोपने का हक नहीं रह गया है। वे अनिवार्य रुप से पुरुषों की भांति घर की कमाऊ सदस्य बन चुकी है तथा अब महिलाओं को आर्थिक स्विचबोर्ड को सहयोगात्मक रुप से संचालित करना चाहिए।

आज, माहौल नाटकीय रुप से बदल रहा है। अपने पुरुषों की लोक सम्पत्ति को बढ़ाने के क्रम में महिलाएं घर की दहलीज लांघकर विभिन्न व्यवसायों में जाने के लिए मजबूर है। यद्यपि, महिलाएं स्वाभाविक रुप से कोमल, ध्यान रखने वाली तथा सहानुभूति वाली होती है, इस कारण, वे उत्तम शिक्षिका, नर्स, चिकित्सक, सामाजिक कार्यकर्ता, लेखिका तथा अनाथ बच्चों की संरक्षिका व घर पर बुजुर्गों तथा बीमार व्यक्तियों की अच्छी सेविका साबित होती है, तो यह नहीं माना जाना चाहिए कि वे अन्य क्षेत्रों में अच्छा नहीं कर सकती है।

ग्रामीण महिलाएं ऐतिहासिक रुप से एक सार्थक आर्थिक भूमिका अदा करती आई है। वे केवल विशिष्ट क्षेत्रों तक ही सीमित नहीं रह गई है। वे पॉल्ट्री उत्पादन, बुनाई, कशीदाकारी, दाई, नर्स तथा फल एवं सब्जी संरक्षण और अन्य क्षेत्रों में भी उपयोगी सिद्ध हो रही है। उन्हें टेलीविजन तथा रेडियो के कारण अपने अधिकारों का ज्ञान है। इस वृद्धि ने महिलाओं के स्तर तथा गरिमा के संदर्भ में ग्रामीण परिदृश्य को बदल कर रख दिया है। सार रुप में आज महिलाएं एक राष्ट्र के निर्माण में चुनौतीपूर्ण भूमिका निभा रही है।

संस्कृति में, महिलाएं महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभा रही है। उनकी संलिप्तता के पक्ष सामाजिक–सांस्कृतिक, तकनीकी, आधारभूत संरचना तथा क्षमता–निर्माण कारक आदि है। महिलाओं के समाज में इस प्रकार की भूमिकाओं में शिक्षण व्यवसाय, उपचार प्रदान करना, परामर्श, निर्देशन, पश्च विद्यालयी कार्यक्रम , दान, गतिविधियों तथा समारोहों का आयोजन, अपराधों व हिंसात्मक कार्यों को रोकना, कुपोषण को रोकना, बुजुर्गों की देखभाल करना, ज्ञान का प्रसार तथा उन्नयन आदि सम्मिलित है। विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं की सफलता को प्रभावित करने वाले कारकों में उनकी वित्तीय स्थिति, उनका स्वास्थ्य, घर की स्थिति, शिक्षा, विशेषज्ञता तथा कौशल, पारिवारिक पृष्ठभूमि तथा रुचियां आदि सम्मिलित है। यह महत्वपूर्ण है कि वे संसाधनों का सही इस्तेमाल करे, नियमों का पालन करे तथा यदि वे किसी अभियान अथवा गतिविधि के प्रदर्शन में संलग्न है, तो उनके प्रयास तथा कौशल उनकी समृद्धि को बढ़ावा दे।

महिलाएं अपना जीवन समाज के कल्याण को बढ़ावा देने, मुख्यतया कार्यस्थल में अपनी प्रतिबद्धता में बिता देती है। उनके उत्तरदायित्व संस्था के उद्देश्यों, कार्यों, कार्य के माहौल, संस्था के अन्य सदस्यों, वेतन तथा भत्तों, कौशल तथा योग्यताओं, सक्षम संचार, प्रशासनिक कार्यों, निर्णय लेने तथा समूहकार्य आदि से प्रभावित होते है। समाज में उनकी भूमिकाएं वैतनिक तथा सम्मानजनक रुप से निभाई जाती है। महिलाओं की समाज में स्थिति वृहद रुप से समृद्धि को बढ़ाने हेतु केंद्रित होती है।

संदर्भ सूची–

1. एलेसिना, ए0 एण्ड गियूलियानो, पी0. (2010), दी पावर ऑफ दी फैमिली, जर्नल ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, वॉल्यूम–15, 93–125
2. होसेन, डी0 एण्ड रोकिस, आर0. (2014), वर्किंग वूमेन्स स्ट्रेट्रेजी फॉर वर्क–केयर बैलेन्स; दी केस ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ ढ़ाका, बांग्लादेश. एशियन जर्नल ऑफ वूमेन्स स्टडीज. वॉल्यूम –20, नं0 3: 77–104
3. आर्देफियो, एलिजाबेथ. (1986),दी रुरल एनर्जी क्राइसिस इन घाना : इट्स इम्पलीकेशन्स फॉर वूमेन्स वर्क एण्ड हाउसहोल्ड सर्वाइवल, वर्ल्ड इम्पलॉयमेन्ट प्रोग्राम वर्किंग पेपर, नं0 38, पृ0 सं0–104
4. बोजरअप, एस्थर. (1970),वूमेन्स रोल इन इकोनॉमिक डेवलपमेन्ट, न्यूयार्क: सेंट मार्टिनी प्रेस.
5. ब्रिसेसोन, डिबोराह फाही एण्ड मिशेल के0 मैक्कॉल. 1997. 'लाइटनिंग दी लोड ऑन रुरल वूमेन : हाउ एप्रोप्रिएट इज दी टेक्नोलॉजी डाइरेक्टेड टूवार्ड्स एफ्रीका ?' जेन्डर, टेक्नोलॉजी एण्ड डेवलपमेन्ट 1(1),23–45
6. ढास्के, जी0 (2016), पॉलिसी एडवोकेसी ऑन वूमेन्स इस्यूज इन इंडिया : एक्सप्लोरिंग चैलेन्जेस टू सोशल वर्क, क्रिटिकल सोशल वर्क,17(1),1–15
7. गियूलियानो, पी0. (2014), दी रोल ऑफ वूमेन इन सोसाइटी : फ्रॉम प्रीइंडस्ट्रियल टू मॉडर्न टाइम्स, सेशिफो इकोनॉमिक स्टडीज , 1–20

शोध छात्रा

एस0 एस0 जे0 परिसर अल्मोड़ा